उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम 1975 {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 53, 1975}

THE UTTAR PRADESH CHIT FUND ACT, 1975
[U.P. ACT NO. 53 OF 1975]

## उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम, 1975¹ {□उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 53, 1975}

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 7 अगस्त 1975 को तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 अगस्त 1975 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 10 अक्टूबर 1975 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 अक्टूबर 1975 को प्रकाशित हुआ।

राज्य में जन—साधारण के हित में चिट फण्ड को विनियमित करने के लिये और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य में छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

### अध्याय 1

1—— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करें और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिये तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2-- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, ...........

परिभाषाएं।

- (1) "अनुमोदित बैंक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक से है,
- (2) "चिट" का तात्पर्य ऐसे संव्यवहार से है, चाहे उसे चिट फण्ड, चिट, या कुरी कहा जाय या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसके द्वारा उसका फोरमैन अनेक अभिदाताओं के साथ यह करार करे कि उनमें से प्रत्येक एक निश्चित राशि या निश्चित परिमाण में अनाज या किसी अन्य माल का कालिक किस्तों में उतनी विनिर्दिष्ट कालाविधयों के लिये, जिनकी संख्या अभिदाताओं की संख्याओं के बराबर हो, अभिदाता करेगा और प्रत्येक अभिदाता या उनमें से कुछ लाट द्वारा या नीलाम द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य नीति से, जो करार में अव्यवस्थित हो, अवधारित अपनी बारी आने पर पुरस्कार धनराशि पाने का हकदार होगा,

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के अर्थान्तर्गत कोई संव्यवहार चिट नहीं होगा, यदि ऐसे संव्यवहार में ......

- (क) अभिदाताओं में से केवल कुछ हो अभिदाताओं को, न कि सभी को, पुरस्कार धनराशि भावी अभिदाय करने के लिये किसी दायित्व के बिना मिले, या
- (ख) सभी अभिदाताओं को बारी—बारी में चिट की संपूर्ण धनराशि भावी अभिदाय करने के दायित्व सहित मिले :

(धारा 2)

दृष्टांत ...... किसी चिट के 100 अभिदाता है और उनमें से प्रत्येक 10 रुपये का अभिदाय करता है सभी अभिदाताओं को बारी—बारी से 1,000 रुप्ये मिलते हैं, जो चिट की संपूर्ण धन राशि है, और उनका भावी अभिदाय करने का दायित्व है। ऐसा संव्यवहार उपर्युक्त स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अधीन आता है और चिट नहीं है,

- (3) ''चिट करार'' का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है, जिसमें फोरमैन और अभिदाता के बीच चिट से संबंधित करार के अनुच्छेद हों,
- (4) ''चिट की धनराशि'' का तात्पर्य छूट के लिये या अन्यथा कटौती किये बिना चिट की किसी किस्त के लिये सभी अभिदाताओं द्वारा दिये अभिदाताओं की कल राशि से है.
- (5) ''व्यतिकमी अभिदाता'' का तात्पर्य ऐसे अभिदाता से है, जिसने चिट करार की शर्तों के अनुसार देय अभिदाताओं के भुगतान में व्यतिकम किया हो,
- (6) "छूट" का तात्पर्य, यथास्थिति, उस राशि से या अन्य माल के उस परिमाण से है, जिसे कोई पुरस्कृत अभिदाता चिट करार की शर्तों के अधीन छोड़ने के लिये अपेक्षित हो और जिसे चिट को चलाने के व्यय को पूरा करने अथवा अभिदाताओं में वितरित करने या दोनों के लिए उक्त करार के अधीन पृथक रखा जाय।
- (7) "लाभाश" का तात्पर्य छूट में अभिदाता के उस अंश से है, जो चिट की किसी किस्त में अभिदाताओं के बीच आनुपतिक वितरण के लिए चिट करार के अधीन उपलब्ध हो,
- (8) अपने व्याकररिणक रूप भेदों सहित, ''ड्रा'' का तात्पर्य चिट किसी किस्त में पुरस्कार धनराशि पाने के हकदार व्यक्ति का व्यक्तियों को अभिनिश्चित करने से है,
- (9) ''फर्म'' का तात्पर्य भारतीय अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी फर्म से है,

अधिनियम सं0 9, 1932

- (10) "फोरमैन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत फर्म भी है) से है, जो चिट करार के अधीन चिट के संचालन के लिए उत्तरदायी हो, और इसके अन्तर्गत धारा 32 में उल्लिखित परिस्थितियों में चिट के चलते रहने पर फोरमैन के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है।
- (11) ''अपरस्कृत अभिदाता'' के अन्तर्गत ऐसा अभिदाता नहीं है, जिसने चिट करार की शर्तों के अनुसार देय अभिदायों का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो,
- (12) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।
- (13) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य अपनी—अपनी अधिकारिता के भीतर परगना मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) से है,
- (14) "पुरस्कार धनराशि" का तात्पर्य चिट की धनराशि और छूट के बीच अन्तर की धनराशि से है, और किसी टिकट के भाग की दशा में टिकट के भाग के अनुपात में चिट की धनराशि और छूट के बीच अन्तर की धनराशि से है, और जहां पुरस्कार धनराशि नकद से भिन्न प्रकार से देय हो, वहां पुरस्कार धनराशि का मूल्य उसके देय होने के समय का मूल्य होगा,
- (15) ''पुरस्कृत अभिदाता'' का तात्पर्य ऐसे अभिदाता से है, जिसे पुरस्कार की धनराशि मिली हो, जो उसका हकदार हो,

(धारा 3)

- (16) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य धारा 53 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है और इसके अन्तर्गत उस धारा के अधीन नियुक्त और इस अधिनियम के अधीन उनके सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार है.
- (17) ''अभिदाता'' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसके पास टिकट का भाग हो, और लिखित समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा टिकट या उसके भाग का अन्तरिती भी है,
  - (18) ''टिकट'' का तात्पर्य चिट में अभिदाता के अंश से है।

### अध्याय 2

### गठन तथा रजिस्ट्रीकरण

- 3— (1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति कोई चिट तब तक न तो प्रारम्भ करेगा और न संचालित करेगा जब तक कि उसने ऐसी सामान्य उपविधियों को, जिनके अधीन विभिन्न चिट आवसियां चलायी जानी हों, रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकृत न करा दिया हो।
- उप विधियों का रजिस्ट्रीकरण
- (2) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ चिट आविलयों की सामान्य उपविधियों, जो फोरमैन द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम से कम दो सिक्षयों द्वारा अनुप्रमाणित हों, रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायगी।

### (3) रजिस्ट्रार-

- (क) यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (2) के अधीन उसके समक्ष दाखिल की गर्ठ सामान्य उप—विधियां इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत नहीं है और चिट का संचालन करने के लिये फोरमैन समुचित व्यक्ति है, उप—विधियों की रजिस्ट्री कर सकेगा और फोरमैन को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र दे सकेगा. या
- (ख) उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।
- (4) उपधारा (3) के खण्ड (2) के अधीन अपनी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार किन्हीं ऐसी सामान्य उपविधियों का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर देगा, जिसमें अभिदाता से लिखित रूप से इस बात का करार करने की व्यवस्था न हो चिट फंड में अभिदाय की किस्तें मासिक होंगी और अभिदाताओं से प्रत्येक मास में प्राप्त चिट की धनराशि का, छूट काटने के पश्चात् जो चिट की धनराशि के तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, भुगतान पुरस्कृत अभिदाता को किया जायगा और फोरमैन को कमीशन देने के पश्चात जो चिट की धनराशि के पांच प्रतिशत से अधिक न होगा, छूट अभिदाताओं में आनुपातिक वितरण के लिये उपलब्ध होगी।
- (5) रजिस्ट्रार उप विधियों की एक प्रतिलिपि रख लेगा और दूसरी प्रतिलिपि फोरमैन को इस पृष्टांकन के साथ लौटा देगा कि उप विधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हैं।
- (6) किसी संविदा, दस्तावेज या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात को होते हुए भी, फोरमैन और अभिदाता के बीच करार के अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट कोई ऐसा करार जिसमें काटने के पश्चात् चिट की सम्पूर्ण धनराशि पुरस्कृत अभिदाता को भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है, शून्य होगा।

{धारा 4-7}

4— कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई नोटिस, परिपत्र, विवरण—पत्रि.का या अन्य दस्तावेज जिसमें किसी चिट की शर्तें तथा निबन्धन दिये गये हों या जिससे जनता को किसी चिट में टिकटों के लिए अभिदाय करने के लिए आमंत्रित किया गया हो, तब तक न तो जारी करेगा और न प्रकाशित करेगा जब तक कि वह धारा 3 के अधीन रिजस्ट्रीकृत समान्य उप विधियों के अधीन किसी चिट से सम्बद्ध न हो।

उस चिट के जिसकी उप विधियां रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, अभिदाय के लिये आमंत्रित करने का प्रतिषेध

5— प्रत्येक चिट—करार फोरमैन द्वारा, तथा अभिदाताओं अथवा अभिदाताओं द्वारा चिट—करार का लिखित रूप में तदर्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दो प्रतियों में होगा, तथा उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

चिट-करार का प्रारूप

- (1) प्रत्येक अभिदाताओं का पूरा नाम और स्थायी नैवासिक पता,
- (2) प्रत्येक अभिदाता द्वारा धृत टिकटों की संख्या,
- (3) किस्तों की संख्या और प्रत्येक किस्त के लिए प्रत्येक टिकट के सम्बन्ध में देय धनराशि:
  - (4) चिट के प्रारम्भ और समाप्त होने का दिनांक,
  - (5) पुरस्कृत अभिदाता अभिनिश्चित करने का ढंग,
  - (6) उस छूट की धनराशि, जिसे पुरस्कृत अभिदाता को किसी किश्त में छोड़ना पड़ेगा,
- (7) वह ढंग, जिसके अनुसार और वह अनुपात, जिसमें लाभांश, फोरमैन का कमीशन और अन्य व्ययों के, दिय कोई हों, रूप में छूट वितरणीय हों,
  - (8) वह दिनांक, समय तथा स्थान जहां पर चिट ड्रा की जायगी,
- (9) यदि चिट—करार के अधीन फोरमैन चिट की धनराशि का हकदार हो तो वह किस्त, जिस पर फोरमैन चिट की धनराशि मिलेगी,
- (10) अनुमोदित बैक, जिसमें या जिनमें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन फोरमैन द्वारा चिट की धनराशि जमा की जायगी,
- (11) वह रीति, जिसके अनुसार चिट उस दशा में जारी रखी जायगी जब ऐसे फोरमैन की, जो एक व्यक्ति हो, मृत्यु हो जाय या वह विकृत—चित्त का अन्यथा असमर्थ हो जाय, और
  - (12) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जायं।

6— (1) प्रत्येक चिट-करार, और उसमें धारा 9 के अधीन किये गये प्रत्येक परितर्वन या परिवर्द्धन को, उसकी दि्वसीय प्रति सहित रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जायगा, जिसे धारा 9 के अधीन करार के रदद किये जाने की, यदि कोई हो, सूचना भी दी जायगी।

चिट–करार का दाखिल किया जाना

(2) रिजस्ट्रार चिट—करार को रख लेगा और चिट—करार, परिवर्तन या परिवर्द्धन की दिवतीय प्रति फोरमैन को इस पृष्ठांकन के साथ लोटा देगा कि चिट—करार, परिवर्तन या परिवर्द्धन दाखिल कर दिया गया हैं।

7—— (1) कोई व्यक्ति किसी चिट को नीलाम करने या उसे ड्रा करने का कार्य तब तक प्रारम्भ करेगा जब तक कि उसने रजिस्ट्रार से प्रारम्भ करने का प्रमाण—पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

चिट-कारबार प्रारम्भ करना

**धारा 8-11**}

- (2) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि चिट की उपविधियां सम्यक् रूप से रिजस्ट्रीकृत की गई है और चिट—करार, जिसके अन्तर्गत उसमें परिवर्तन या परिवर्द्धन, यदि कोई हो, भी है, दाखिल कर दिया गया और धारा 114 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति फोरमैन द्वारा दे दी गई है, प्रारम्भ करने का प्रमाण—पत्र देगा।
- 8—— (1) फोरमैन, धारा 7 में निर्दिष्ट प्रारम्भ करने का प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र किन्तु चिट के प्रथम बार ड्रा किये जाने के दिनांक तक, न कि उसके पश्चात् प्रत्येक अभिदाता को चिट की उप विधियों की और चिट—करार की प्रति, जो उसके द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि प्रमाणित हो, देगा।

उप विधियों और चिट— करार की प्रतियों का अभिदाताओं को दिया

- (2) फोरमैन, चिट की प्रथम किस्त ड्रा किये जाने वाले मारा के अनुवर्ती मास में पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष इस आशय का एक प्रमाण–पत्र दाखिल करेगा कि उसने उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया है।
- 9— फोरमैन और चिट के सभी अभिदाताओं की लिखित सहमति के सिवाय चिट—करार में न तो परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जायगा और न उसे रदद किया जायगा।

चिट-करार में परिवर्तन

10—— (1) प्रत्येक मास में अभिदाताओं के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक विहित रीति से होगी। बैठक

- (2) अपुरस्कृत और असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं की संख्या के योग के पच्चीस प्रतिशत की मांग पर फोरमैन द्वारा विहित रीति से अभिदाताओं के सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाई जायगी।
- 11— (1) प्रत्येक ड्रा की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिये रखी पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी और उस पर फोरमैन और समस्त उपस्थित अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे। उस पर पुरस्कृत अभिदाता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भी हस्ताक्षर किया जायगा।

वार्यवाहियों का कार्यवृत्त

- (2) ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से दी जायेंगी :-'
- (एक) वह दिनांक और समय जब कार्यवाहियों प्रारम्भ हुई और समाप्त हुई और वह स्थान जहां ड्रा हुआ था,
- (दो) चिट की जिस विशिष्ट किस्त की कार्यवाहियां अभिलिखित की जायें, उसकी संख्या,
  - (तीन) उपस्थित अभिदाताओं के नाम,
- (चार) वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो विशिष्ट किस्त में पुरस्कार की धनराशि का हकदार हो जाय या हो जायें,
  - (पाँच) छूट की धनराशि,
- (छः) पूर्ववर्ती किस्त के बारे में पुरस्कार की धनराशि के निस्तारण और किसी पूर्ववर्ती किस्त के बारे में असदत्त पुरस्कार की धनराशि, यदि कोई हो के निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्ण विशिष्टियां, और
  - (सात) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जायं।

**धारा 12-14**}

12— प्रत्येक फोरमैन, उस मास के, जिसमें एक ही चिट की एक या अधिक किश्तें अथवा किसी अन्य चिट की एक या अधिक किश्तें ड्रा की जायें, अनुवर्ती मास में पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी सभी किश्तों के ड्रा के सम्बन्ध में धारा 11 में निर्दिष्ट अभिलेख की प्रतिलिपि, जो फोरमैन द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो, दाखिल करेगा।

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि का रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जाना

### अध्याय 3

### फोरमैन

13— कोई फोरमैन किसी एक समय में किन्हीं ऐसी चिटों का संचालन नहीं करेगा, जिनकी कुल धनराशि फोरमैन की शुद्ध आस्तियों के प्रचास प्रतिशत से अधिक हो। चिट का मूल्य

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ फोरमैन की शुद्ध आस्तियों का अवधारण करने में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूमि की धनराशि को अलग कर दिया जायगा, यदि ऐसी धनराशि अभिदाताओं से अग्रिम रूप में प्राप्त अभिदान की धनराशि हो।

14— (1) प्रत्येक फोरमैन किन्हीं चिट—आविलयों के सम्बन्ध में धारा 7 में निर्दिष्ट प्रारम्भ करने के प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन करने के पूर्व — फोरमैन द्वारा प्रतिभूमि का दिया जाना

- (क) चिट के उचित संचालन के लिये अन्य अभिदाताओं के पक्ष में या उनके न्यासतः एक बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति को भारित करेगा, जो रजिस्ट्रार के सन्तोषानुसार चिट की धनराशि के दुगुने के बराबर धनराशि को वसूल करने के लिये पर्याप्त हो, या
- (ख) किसी अनुमोदित बैंक में चिट की धनराशि के बराबर धनराशि जमा करेगा या चिट की धनराशि के डेढ़ गुने से अन्यून अंकित मूल्य की धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करेगा और इस प्रकार जमा की गई धनराशि या सरकारी प्रतिभूतियां रजिस्ट्रार के पक्ष में अन्तरिम, जिसे वह चिट के सम्यक् संचालन के लिये प्रतिभूति के रूप में न्यासतः रखेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जगम सम्पत्ति के रूप में भारित की जाय वह केवल उस प्रकार की जंगम सम्पत्ति को ही, जो विहित की जाय, इस प्रकार भारित किया जायेगा और ऐसी जंगम सम्पत्ति को ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी के समक्ष जिसे विहित किया जाय, जमा किया जायगा।

- (2) जहां फौरमैन एक से अधिक चिट संचालित करता है वहां वह प्रत्येक चिट के सम्बन्ध में उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिभूति देगा।
- (3) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 520 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति किसी डिग्री के निष्पादन के लिये या अन्यथा तब तक कुर्क न की जायगी—

ऐक्ट संख्या 1, 1956

- (क) जब तक कि चिट समाप्त न कर दी जाय और सभी अभिदाताओं के दावों की पूर्णतः तृष्टि न कर दी जाय,
- (ख) जब तक कि रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन फोरमैन द्वारा देय सभी देयों का भुगतान कर दिया गया हो,
- (ग) जहां देय पुरस्कृत धनराशि पुरस्कृत अभिदाता के व्यतिक्रम के कारण चिट समाप्त किये जाने के पश्चात् भी, असंदत्त रहें तो जब तक कि फोरमैन चिट—करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में ऐसी धनराशि जमा न कर दे और इस प्रकार जमा करने की लिखित संसूचना पुरस्कृत अभिदाता को न दे दे।

धारा 15-16}

- (4) रिजस्ट्रार चिट समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि उपधारा (3) के खण्ड (1) से (3) में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति के रूप में भारित सम्पत्ति को निर्मुक्त कर देगा अथवा नकद प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूतियों को निर्मुक्त करने का आदेश देगा, और ऐसा करने में वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाय।
- (5) रजिस्ट्रार किसी फोरमैन के आवेदन पर, उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति निर्मुक्त करने के बजाय उस उसी फोरमैन द्वारा संचालित की जाने वाली किसी अन्य चिट के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर सकेगा। यदि इस प्रकार स्वीकार की गयी प्रतिभूति का मूल्य या उसकी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य या धनराशि से कम हो तो रजिस्ट्रार उस कमी को पूरा करने के लिए फोरमैन से अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगा। यदि ऐसी प्रतिभूति का मूल्य या उसकी धनराशि अपेक्षित मूल्य या धनराशि से अधिक है तो रजिस्ट्रार ऐसे आधिक्य निमुक्त कर देगा।
- (6) तत्पश्चात् प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्राधिकृत बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दी गई प्रतिभूति के सम्बन्ध में फोरमैन चिट के चालू रहने के दौरान कोई संव्यवहार नहीं करेगा, और उसके सम्बन्ध में फोरमैन द्वारा अन्तरण, भार, बन्धक या अन्य विल्लंगम के रूप में की गई कार्यवाही शून्य होगी।

15— इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, फोरमैन —

फोरमैन के अधिकार

- (क) चिट-करार में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के न होने पर, चिट-करार में तदर्थ विनिर्दिष्ट किस्त पर चिट की धनराशि पाने का,
- (ख) चिट की धनराशि के पांच प्रतिशत से अनधिक उतने कमीशन या पारिश्रमिक का, जो चिट करार में निश्चित किया जाय,
  - (ग) अभिदाताओं से सभी अंशदान प्राप्त और वसूल करने का,
- (घ) भावी अभिदायों का सम्यक रूप से भुगतान करने के लिये किसी पुरस्कृत अभिदाता से पर्याप्त प्रतिभूति की मांग करने का,

स्पष्टीकरण — इस खण्ड के प्रयोजनार्थ कोई प्रतिभूति पर्याप्त कही जायगी यदि पुरस्कृत अभिदाता द्वारा देय धनराशि से प्रतिभूति का मूल्य एक—तिहाई से अधिक हो, या यदि प्रतिभूति स्थावर संपत्ति के रूप में हो तो मूल्य ड्योढे से अधिक हो;

- (ङ) व्यतिकमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाता रखने का; और
- (च) ऐसे सभी अन्य कार्य करने का, जो चिट के सम्यक् और समुचित संचालन के लिये आवश्यक हो, हकदार होगा।

16—— (1) फौरमैन, पुरस्कृत अभिदाता द्वारा भावी अभिदायों का सम्यक् रूप से भुगतान करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति दिये जाने पर उसे पुरस्कार धनराशि का भुगतान करने के लिये बाध्य होगा :

फोरमैन के कर्तव्य

प्रतिबन्ध यह है कि पुरस्कार अभिदाता पुरस्कार धनराशि का सभी भावी अभिदायों को काटने के पश्चात्, किसी प्रकार की प्रतिभूति के बिना तत्काल भुगतान किये जाने की मांग करने का हकदार होगा, और ऐसी दशा में फोरमैन असली किस्त के दिनांक के पूर्व, चिट—करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में इस प्रकार काटे गये भावी अभिदाय की धनराशि जमा करेगा, और वह इस प्रकार जमा धनराशि को सिवाय भावी अभिदाय के भुगतान के लिये, नहीं निकालेगा।

**धारा 17-20**}

- (2) यदि पुरस्कृत अभिदाता के व्यक्तिकृम के कारण किन्हीं दोनों के सम्बन्ध में देय पुरस्कार धनराशि आगामी ड्रा के दिनांक के पूर्व असंदत्त रह जाय, तो फोरमैन चिट—फण्ड करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में तत्काल जमा करेगा और इस प्रकार जमा करने की संसूचना लिखित रूप में पुरस्कृत अभिदाता और रजिस्ट्रार को देगा।
- (3) प्रत्येक पुरस्कार धनराशि के भुगतान, उपधारा (1) के अधीन भावी अभिदायों की धनराशि को जमा करने, और उपधारा (2) के अधीन पुरस्कार धनराशि को जमा करने की संसूचना आगामी ड्रा के समय अभिदाता को दी जायगी, और ऐसे भुगतान या जमा की विशिष्टियां ड्रा की कार्यवाहियों के अभिलेख में दर्ज की जायेंगी।
- (4) फोरमैन किसी ऐसी धनराशि से, जिसके लिये वह धारा 15 के खण्ड (क) और (ख) के अधीन हकदार है, अधिक कोई धनराशि अपने लिये विनियोजित नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन उस ब्याज के सिवाय, जो उपधारा (2) के अधीन या धारा 24 के अधीन की गई जमा पर जो, बैंकों में जमा किसी धनराशि पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज को, अपने लिये विनियोजित कर सकेगा।

17— प्रत्येक फोरमैन ऐसे रजिस्टर और लेखा—बहियां, ऐसे प्रपत्र में रखेगा, जो विहित किये जायें। रजिस्टर और लेखा बहियां

18—— (1) प्रत्येक फोरमैन ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, लेखा—अविध से सम्बन्धित तुलन—पत्र, जो या तो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन कम्पनियों के लेखा—परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिये सम्यक रूप से अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा या धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त चिट लेखा—परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से लेखा परीक्षित हो, तैयार करेगा और रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेगा।

तुलन पत्र अधिनियम सं0 1, 1956

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तुलन-पत्र में, -
- (क) उसके द्वारा संचालित सभी चिटों की आस्तियों ओर दायित्यों की संक्षिप्ति होगी:
- (ख) ऐसी विशिष्टियां दी जायेगी, जिनसे यह प्रकट हो कि उक्त आस्तियों और दायित्वों का स्वरूप क्या है और उन आस्तियों का मूल्य किस प्रकार निकाला गया है: और
  - (ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां होगी जो विहित की जायं।
- 19—— (1) प्रत्येक फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशि का लेखा—जोखा उन्हें देने के लिये उत्तरदायी होगा।

अभिदाताओं के प्रति फोरमैन का दायित्व

- (2) जहां एक से अधिक फोरमैन हों तो उनमें से प्रत्येक संयुक्त और पृथकतः या यदि फोरमैन कोई फर्म हो तो उसके भागीदारों में से प्रत्येक संयुक्त और पृथकतः और यदि फोरमैन कोई निगम हो तो वह निगम, चिट से उद्भूत होने वाली बाध्यताओं के संबंध में अभिदाताओं के प्रति उत्तरदायी होगा।
- 20— (1) जहां चिट में फोरमैन के रूप में एक से अधिक व्यक्ति हो तो उनमें से कोई भी चिट समाप्त होने तक उससे प्रत्याहृत नहीं होगा जब तक कि इस प्रकार प्रत्याहृत होने के सम्बन्ध में सभी अपुरस्कृत अभिदाताओं और असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा सम्मति न दे दी जाय और ऐसी संपत्ति दिये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर शेष फोरमैनों द्वारा ऐसी सहमति की एक शुद्ध प्रति दाखिल न कर दी जाय।

फोरमैन का प्रत्याहृत होना

(2) फोरमैन का ऐसे प्रत्याहरण से धारा 14 के अधीन दी गयी प्रतिभूति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 21-23

### अध्याय 4

### अपुरस्कृत अभिदाता

21— प्रत्येक अपुरस्कृत अभिदाता अपेन अभिदाय का भुगतान चिट—करार में उल्लिखित समय और स्थान पर करेगा और ऐसा भुगतान करने पर फोरमैन से रसीद पाने का हकदार होगा।

अपुरस्कृत अभिदाता अभिदान का भुगतान करेंगे और रसीद प्रपत करेंगे।

22—— (1) (क) ऐसे अपुरस्कृत अभिदाता का नाम, जो चिट—करार की शर्तों के अनुसार अपने अभिदान का भुगतान करने में व्यतिक्रम, करता है, अभिदाताओं की सूची में हटाया जा सकेगा।

व्यतिकमी अभिदाताओं का हटाया जाना

- (ख) नाम का इस प्रकार हटाया जाना, उसके दिनांक सहित, फोरमैन द्वारा रखी जाने वाली व्यतिक्रमी अभिदाताओं की पुस्तिका में दर्ज किया जायगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रमी अभिदाता का नाम हटाये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर फोरमैन :--
  - (क) इस तथ्य का नोटिस ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता को देगा, और
  - (ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रतिष्टि की एक शुद्ध प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेगा।
- (3) अभिदाताओं की सूची में अपना नाम हटाये जाने से क्षुब्ध कोई व्यक्तिकमी अभिदाता, हटाये जाने का नोटिस संसूचित किये जाने के सात दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है।
- (4) रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे और रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- 23— (1) फोरमैन अभिदाताओं की सूची में ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता के स्थान पर, जिसका नाम धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी सूची से हटा दिया गया हो, किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकेगा:

अभिदाता का प्रतिस्थानी

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रतिस्थापन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन व्यतिक्रमी अभिदाता को दिये नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत न हो जायं।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रतिस्थापन को उसके दिनांक सहित, धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पुस्तिका में दर्ज किया जायगा और फोरमैन ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति, ऐसे प्रतिस्थापन के दिनांक से चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष, इस प्रमाण-पत्र के साथ दाखिल करेगा कि चिट की उपविधियों की और चिट-करार की प्रति, जो शुद्ध प्रति के रूप में प्रमाणित हो, प्रतिस्थापित अभिदाता को दे दी गई है।
- (3) प्रतिस्थापित अभिदाता से वसूल किये गये अभिदाय के सभी बकाया को, जिसमें से फोरमैन द्वारा अग्रिम दी गई धनराशि को घटा दिया जायगा, चिट—करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में रजिस्ट्रार के नाम अगली किस्त के दिनांक के पूर्व फोरमैन द्वारा जमा किया जायगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ ''अभिदानों के बकाया'' का तात्पर्य प्रतिस्थापित अभिदाता से वसूल की गयी सभी पूर्ववर्ती किश्तों से होगा।

{धारा 24-26}

24— (1) जहां कि कोई प्रतिस्थापित अभिदाता पुरस्कार धनराशि आहरित करता है, वहां व्यतिक्रमी अभिदाता अपने अंशदानों को, ऐसी कटौतीयों के अधीन रहते हुए, जिसकी व्यवस्था चिट—करार में की जाय और जो किसी भी दशा में ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा पहले से प्राप्त लाभांश से अधिक न होगी, वसूल करने का हकदार होगा।

व्यतिकमी अभिदाता को देय धनराशि के सम्बन्ध में किस प्रकार कार्यवाही की

- (2) व्यक्तिकमी अभिदाता द्वारा मांग किये जाने पर और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति निष्पादित करने पर, फोरमैन रजिस्ट्रार को सभी कटौतियां करने के पश्चात् देय धनराशि की सूचना देगा और रजिस्ट्रार ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता के पक्ष में चैक या ड्राफ्ट जारी करेगा।
- (3) यदि व्यतिकमी अभिदाता उपर्युक्त अभिस्वीकृति देने में असफल रहता है तो फोरमैन व्यतिकमी अभिदाता को देय धनराशि, अगली किश्त के दिनांक के पूर्व, किसी अनुमोदित बैंक में जमा करेगा, और इस प्रकार जमा करने के तथ्य की लिखित संसूचना व्यतिकमी अभिदाता और रिजस्ट्रार को देगा। इस प्रकार जमा की गई धनराशि फोरमैन द्वारा व्यतिकमी अभिदाता को भुगतान किये जाने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं निकाली जायगी।

### अध्याय 5

### पुरस्कृत अभिदाता

25— प्रत्येक पुरस्कृत अभिदाता, सभी भावी अभिदायों की कटौतियां किये बिना पुरस्कार की धनराशि लेने के पूर्व, फोरमैन को पर्याप्त प्रतिभूति देगा और फोरमैन ऐसी प्रतिभूति को भावी अभिदायों का सम्यक् भुगतान करने के लिये लेगा, और यदि फोरमैन पुरस्कृत अभिदाता है या धारा 15 के खण्ड (क) के अधीन चिट की धनराशि आहरित करता है तो वह रजिस्ट्रार के सन्तोषानुसार भावी अभिदायों के सम्यक् भुगतान के लिये प्रतिभूति देगा :

पुरस्कृत अभिदाता प्रतिभूति देगा

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन से भिन्न कोई पुरस्कृत अभिदाता, जिनकी प्रतिभूति को फोरमैन द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार न किया जाय, उस दिनांक से जब वह पुरस्कृत अभिदाता हो जाय, तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझें, और उस विषय में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

26— प्रत्येक पुरस्कृत अभिदाता चिट—करार में उल्लिखित समय और स्थान तथा दिनांकों पर अपना अभिदान नियमित रूप से देगा और ऐसा न करने पर वह सभी भावी अभिदायों का समेकित रूप में तत्काल भुगतान करने का दायी होगा : पुरस्कृत अभिदाता नियमिति रूप से अभिदाय देगा

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन किसी व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता की ओर से अभिदाय की धनराशि प्रतिमास तब तक देगा जब तक कि ऐसे व्यक्तिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता के बकाया का समेकित भुगतान और सभी भावी किस्तें वसूल न हो जायें और उस धनराशि को फोरमैन ऐसे पुरस्कृत अभिदाता की ओर से अपने द्वारा दिये गये अभिदाय को काटने के पश्चात् रिजस्ट्रार के लेखे में जमा करेगा।

धारा 27-30}

27— (1) यदि भावी अभिदायों के समेकित भुगतानों के लिए फोरमैन द्वारा लाये गये किसी वाद में, व्यक्तिकमी पुरस्कृत अभिदाता वाद की सुनवाई के लिये नियत दिनांक को या उसके पूर्व, उस दिनांक तक के अभिदायों का बकाया और चिट—करार में उसके लिये व्यवस्थित दर से या बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, इसमें से जो भी कम हो, उस पर ब्याज देने और फोरमैन को भुगतान के लिये वाद—व्यय देने को सहमत हो या न्यायालय में दे तो, किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी न्यायालय तदनुसार डिकी पारित करेगा:

समेकित भुगतान की वसूली और उसका निस्तारण

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा वाद वचन—पत्र पर हो तो इस उपधारा के अधीन कोई डिकी तब तक पारित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे वचन—पत्र में स्पष्ट रूप से यह वर्णित न हो कि तद्धीन देय धनराशि चिट के अभिदायों के भुगतान के सम्बन्ध में है।

- (2) प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित रखने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भुगतान करने का हकदार होगा।
- (3) (क) फोरमैन द्वारा भावी अभिदायों के लिये वसूल किये गये सभी समेकित भुगतान किसी अनुमोदित बैंक में आगामी किस्त के दिनांक के पूर्व जमा किये जायेंगे और उन्हें केवल भावी अभिदयों के भुगतान के लिये ही निकाला जा सकता है ;
- (ख) जहां की सम्पत्ति समेकित भुगतान के बदले में स्वीकार की जाय तो वह भावी अभिदायों के सम्यक् भुगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में बनी रहेगी।

### अध्याय 6

### अन्तरण

28—— (1) पुरस्कृत अभिदाताओं से अभिदाय लेने के फोरमैन के अधिकारों का अन्तरण रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा। फोरमैन के अधिकारों के अन्तरण पर निर्बन्धन

- (2) कोई ऐसा अपुरस्कृत अभिदाता या असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता, जो यह दावा करता है। कि किसी ऐसे अन्तरण से उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अन्तरण को अपास्त करने के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है, और रजिस्ट्रार तदर्थ समाधान हो जाने पर, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसे अपास्त कर सकता है।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार अन्तरिती पर होगा कि अन्तरण से किसी अभिदाता के, जिसने उस पर आक्षेप किया हो, हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

29— किसी अपुरस्कृत अभिदाता द्वारा चिट में उसके अधिकारों का प्रत्येक अन्तरण लिखित रूप में होगा जो कम से कम दो साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होगा और फोरमैन को प्रस्तुत किया जायगा।

टपुरस्कृत अभिदाता से अधिकार का अन्तरण लिखित रूप् में होगा

30— धारा 29 के अधीन प्रत्येक अन्तरण को फोरमैन द्वारा मान्यता दी जायगी, जब तक कि वह यह न समझे कि अन्तरिती शोधक्षम नहीं है अथवा अन्तरण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध विफल होते हैं। फोरमैन द्वारा अन्तरण को मान्यता देना

**धारा 31-35**}

31— धारा 28 या धारा 29 में निर्दिष्ट प्रत्येक अन्तरण फोरमेन द्वारा चिट पुस्तिका में तुरन्त दर्ज किया जायगा और फोरमैन, ऐसी प्रविष्टि करने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर ऐसी प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ यह प्रमाण—पत्र होगा कि चिट की उपविधियों और चिट—करार की प्रति, जो शुद्ध प्रति के रूप में प्रमाणित हो, सम्बद्ध अन्तरिणी को दे दी गई है।

पुस्तिका में अन्तरितियों के नाम दर्ज करना

### अघ्याय 7

### चिटों की समाप्ति

32— (1) जहां ऐसे किसी फोरमैन की, जो व्यक्ति है, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय तो चिट को चिट—करार के उपबन्धों के अनुसार, जहां करार में ऐसी व्यवस्था हो, जारी रखा जा सकता है। कतिपय दशाओं में चिटों को जारी रखने के लिये उपनन्ध

(2) ऐसे किसी फोरमैन की दशा में जो फर्म, हो, यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा समर्थ हो जाय तो चिट—करार में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के न होने पर चिट को समाप्त हुआ नहीं समझा जायगा और उत्तरजीवी भागीदार चिट का संचालन करेगा या करेंगे।

33-- कोई चिट समाप्त हुई समझी जायगी ----

चिट की समाप्ति

- (क) जब चिट—करार में नियत अवधि समाप्त हो गई हो, परन्तु यह तब जब कि सभी अभिदाताओं को देयों का भुगतान पूरा कर दिया गया हो, या
- (ख) जब सभी अपुरस्कृत तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता चिट समाप्त करने के लिये लिखित रूप में सम्मित दे और ऐसी सम्मित की प्रति धारा 34 की अपेक्षानुसार दाखिल कर दी जाय, या
- (ग) जब ऐसे फोरमैन की, जो व्यक्ति हो, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय और चिट—करार में चिट को जारी रखने की व्यवस्था न हो या जब फोरमैन जो कि फर्म है, के भागीदार की मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय और चिट—करार में ऐसी दशा में चिट को बन्द कर देने की व्यवस्था हो।

34— धारा 20 की उपधारा (1) या धारा 33 के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक सम्मित की, उसके दिनांक सिहत, एक शुद्ध प्रति, ऐसी सम्मिति दिये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर फौरमैन या शेष फोरमैन या फोरमैनों द्वारा रिजस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायेगी।

रजिस्ट्रार के समक्ष सम्मति दाखिल करना

35— धारा 33 खण्ड (क) और (ख) मे निर्दिष्ट दशाओं के सिवाय .....

अपुरस्कृत अभिदाताओं के अंशदान का लौटाया जाना

(1) प्रत्येक अपुरस्कृत अभिदाता, जब तक कि चिट—करार में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, चिट की समाप्ति पर, उसके द्वारा प्राप्त लाभांश को, यदि कोई हो, काटे बिना अपना अंशदान वापस पाने का हकदार होगा :

धारा 36-39}

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी अपुरस्कृत अभिदाता के अधिकार धारा 29 के अधीन अन्तरित किये जाये, अपने अंशदानों के अतिरिक्त, जब तक कि चिट—करार में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, ऐसे अपुरस्कृत अभिदाता द्वारा दिये गये अंशदानों को वापस पाने के लिये हकदार होगा।

(2) यदि चिट—करार में मूलतः नियत दिनांक के पूर्व दिनांक को चिट समाप्त हो जाय तो अपुरस्कृत अभिदाता का दावा उस दिनांक से उद्भूत समझा जायगा जब उसे इस प्रकार समाप्त करने का नोटिस प्राप्त हो।

36— जहां चिट के सम्बन्ध में फोरमैन द्वारा ऋण देय हो और उसके द्वारा अन्य ऋण भी हो वहां अभिदाताओं को देय चिट सम्बन्धी ऋण चिट आस्तियों पर प्रथम भार होंगे। अभिदाताओं के देय चिट आस्तियों पर प्रथम भार होंगे

### अध्याय 8

### दस्तावेज का निरीक्षण

37— प्रत्येक फोरमैन, पांच रुप्ये से अनिधक ऐसी फीस जो चिट—करार में विनिर्दिष्ट की जाय, देने पर, अपुरस्कृत ताा असंदत्त पुरसकृत अभिदाताओं को चिट ड्रा किये जाने के सभी दिन अथवा ऐसे दिन तथा ऐसे समय के भीतर जिसकी चिट—करार में व्यवस्था की जाय, पुरस्कृत अभिदाताओं से लिये गये या अभिदाता की हैसियत से स्वयं फोरमैन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिभूति—पत्रों और दस्तावेजों, रसीदों तथा अन्य अभिलेखों और सभी चिट—अभिलेखों का जिसके अन्तर्गत लेखा—वाहियां, पास—तुलन—पत्र और लाभ—हीन का लेखा तथा ऐसे अन्य अभिलेख, जिनसे चिट योजना की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो, भी है, निरीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें देगा।

फोरमैन अभिदाताओं को चिट के अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुज्ञा

38— चिट सम्बन्धी सभी अभिलेख फोरमैन द्वारा अविकल रूप में परिरक्षित किये जायेंगे और चिट समाप्त होने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे। फौरमैन द्वारा चिट अभिलेखों का परिरक्षण

39— (1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी चिट-पुस्तिकाओं और चिट सम्बन्धी सभी अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है।

चिट पुस्तिकाओं का निरीक्षण तथा अभिलेखों का निरीक्षण

(2) प्रत्येक फोरमैन रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर, जैसी वह अपेक्षा करें, चिट—पुस्तिकाओं और अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा और उसे कोई अन्य सूचना, जिसकी वह अपेक्षा करे, देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण फोरमैन के भू-गृहादि पर किया जा सकता है, यदि वह अग्रिम रूप से ऐसी फीस दे, जो निरीक्षण के लिये विहित की जाय :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि फोरमैन बैंकिंग कम्पनीय ऐक्ट, 1949 में यथापरिभाषित कोई बेकरारी कम्पनी हो तो ऐसा निरीक्षण केवल कम्पनी के भू—ग्रहादि पर और केवल कार्य दिवस को ही किया जायगा और ऐसा फोरमैन ऐसी फीस देगा, जो निरीक्षण के लिये विहित की जाय।

ऐक्ट सं. 10, 1949

धारा 40}

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत की गई किन्हीं लेखा—बहियों या दस्तावेजों को ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, परिबद्ध कर सकता है और अपनी अभिरक्षा में रख सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी-

- (क) लेखा—बहियों या अन्य दस्तावेजों को परिबद्ध करने के अपने कारणों को अभिलिखित किये बिना ऐसा नहीं करेगा, या
- (ख) सिवाय पर्याप्त तथा अपवादित कारणों के जो अभिलिखित किये जायेंगे, अवकाश के दिन को अपवर्जित करते हुए पन्द्रह दिन से अधिक अविध के लिए और रिजस्ट्रार से भिन्न अधिकारी की दशा में रिजस्ट्रार से तदर्थ लिखित अनुमोदन लिए बिना अपनी अभिरक्षा में किन्हीं ऐसी पुस्तिकाओं या दस्तावेजों को नहीं रखेगा।

#### अध्याय 9

### चिटों का परिसमापन

40— चिट ऐसे विहित प्राधिकारी द्वारा, जिसकी उस स्थान पर जहां चिट रजिस्ट्रीकृत की गयी हो, अधिकारिता हो, परिसमापित की जा सकती है, यदि—— चिट कब पारिसमापित की जा सकती है

- (क) चिट धारा 33 के खण्ड (ग) के अधीन समाप्त हो गयी है, या
- (ख) फोरमैन धारा 14 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देने में सफल रहता है या यदि वह उसके सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है, जिससे प्रतिभूति के स्वरूप या उसके मूल्य सात्विक रूप से हास हो सकता हो, या
- (ग) फोरमैन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की धनराशि जमा करने में असफल रहता है या
- (घ) विहित प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध हो जाय कि फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है, या
- (ङ) चिट के किसी अभिदाता को देय धनराशियों के सम्बन्ध में उसके पक्ष में किसी न्यायालय की डिकी या आदेश पर जारी किया गया निष्पादन या अन्य आदेशिका पूर्णतः या आंशिक रूप में लौटा दी जाती है, या
- (च) यह साबित हो जाये कि पुरस्कार अभिदाताओं से प्रत्याभूतियां लेने के मामले में फोरमैन की ओर से कपट या दुस्संधि की गयी है, या
- (छ) फोरमैन ने भावी अभिदायों के लिए पर्याप्त प्रत्यावृति दिये बिना, अभिदाता की हैसियत से पुरस्कार की धनराशि विनियोजित की है, या
- (ज) यह अन्यथा न्यायसंगत और साम्योचित हो कि चिट परिसमापित कर दी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण :— खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ यह अवधारित करने में कि क्या फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशियां देने में असमर्थ है, विहित प्राधिकारी चिट के सम्बन्ध में उसके समाश्रित तथा भावी दायित्वों को ध्यान में रखेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा संचालित चिट केवल उस न्यायालय द्वारा, जिसका उस अधिनियम के अधीन अधिकारिता हो, परिसमापित की जा सकती है।

धारा 41-46}

41— चिट के परिसमापन के लिये यथास्थिति विहित प्राधिकारी या न्यायालय को आवेदन किसी अपुरस्कृत अभिदाता या असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता द्वारा या रिजस्ट्रार द्वारा याचिका के रूप में दिया जायेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगी, और उसमें ऐसी विशिष्टियां होगी जो विहित की जायें:

परिसमापन के लिये आवेदन–पत्र

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 40 के खण्ड (घ) या खण्ड (ज) के अधीन चिट के परिसमापन के लिये कोई आवेदन तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि ऐसी याचिका —

- (क) ऐसे अपुरस्कृत अभिदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा जिनके चिट में अभिदायों का योग समस्त अपुरस्कृत अभिदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा असंदत्त धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो. या
  - (ख) रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी पूर्व स्वीकृति से, प्रस्तुत न की जाय।

स्पष्टीकरण :— इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनार्थ, टिकट के भिन्नांश का अभिदाता केवल उस भिन्नांश तक ही अभिदाता समझा जायेगा।

42— धारा 40 तथा 41 में किसी बात के होते हुए भी, चिट के परिसमापन के लिये निहित प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा धारा 40 के अधीन कोई याचिका ग्रहण नहीं की जायगी, यदि फोरमैन को दिवालिया न्याय निर्णीत करने के लिये प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, 1020 के अधीन उसकी विरुद्ध कार्यवाहियों विचाराधीन हो अथवा जहां फोरमैन कोई कम्पनी हो, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन उस कम्पनी के परिसमापन के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाहियां विचाराधीन हो।

दिवाला या समापन परिसमापन कार्यवाहियों को वर्जित करेगी

43— किसी चिट के परिसमापन का आदेश उन सभी अभिदाताओं के पक्ष में प्रवर्तित होगा, जिन्हें चिट से धनराशियां देय हो और वह परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय से प्रभावी समझा जायेगा।

परिसमापन आदेश का प्रारम्भ और प्रभाव

44— विहित प्राधिकारी या न्यायालय, फोरमैन के या किसी ऐसे अभिदाता के जिसे चिट के सम्बन्ध में धनराशि देय हो, आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन चिट के परिसमापन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किसी भी समय, अंतरिम रिसीवर नियुक्त किये जाने का अथवा चिट के सम्बन्ध में देय धनराशि की वसूली के लिये फोरमैन के विरुद्ध संस्थित किसी बाद या कार्यवाही में अग्रेतर कार्यविहयों को ऐसी शर्तों पर जिन्हें विहित प्राधिकारी या न्यायालय उचित समझे, रोकने का आदेश दे सकता है।

अन्तरिम रिसीवर तथा अन्य कार्यवाहियों का रोका जाना

45— आवेदन की सुनवाई पर विहित प्राधिकारी या न्यायालय उसे खर्च सहित या बिना खर्च के खारिज कर सकता है अथवा सशर्त या बिना शर्त के सुनवाई स्थगित कर सकता है या अन्तरिम आदेश या कोई अन्य आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

आवेदन-पत्र की सुनवाई पर न्यायालय की शक्तियां

46— चिट के परिसमापन का आदेश दिये गये जाने पर चिट की सम्पूर्ण आस्तियां उन अभिदाताओं में वितरण के लिये, जिन्हें चिट के संबंध में धनराशियां देय हो, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या न्यायालय में निहित हो जायेगी और ऐसी विहित प्राधिकारी या न्यायालय रिसीवर नियुक्त करेगा तथा इस विषय में ऐसे आदेश देगा, जो वह उचित समझे।

वितरण के लिये चिट आस्तियां विहित प्राधिकारी या न्यायालय में निहित होंगी

**धारा 47-51**}

47— जहां विहित प्राधिकारी या किसी न्यायालय द्वारा कोई परिसमापन आदेश दिया गया हो, वहां चिट के सम्बन्ध में अभिदाता को देय धनराशि की वसूली के लिये अभिदाता द्वारा फोरमैन के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां सिवाय विहित प्राधिकारी या न्यायालय की अनुमति से और ऐसी शर्तों पर जिन्हें विहित प्राधिकारी या न्यायालय अधिरोपित करें, न तो जारी रखी जायेंगी और न प्रारम्भ की जायेंगी।

परिसमापन के आदेशों पर बाद आदि का रुक जाना

48— (1) परिसमापन आदेश के दिये जाने पर, परिसमापन कार्यवाहियों के याची का और रिसीवर का यह कर्तव्य होगा कि वे आदेश की एक प्रति, आदेश दिये जाने के दिनांक से एक भाग के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करें:

आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायगी

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार ऐसे याची या रिसीवर के लिखित आवेदन पर, स्विववेकानुसार, ऐसी कोई प्रति दाखिल करने के लिये पन्द्रह दिन से अनिधक का और समय दे सकता है।

- (2) परिसमापन आदेश की प्रति दाखिल करने पर रजिस्ट्रार चिट से सम्बन्धित अपनी पुस्तिकाओं में उसके बारे में दर्ज करेगा और उसे सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।
- 49— (1) जहां चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान फोरमैन दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाय अथवा जब फोरमैन कोई कम्पनी हो उस कम्पनी को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन परिसमापन का आदेश दिया जाय तो इस अधिनियम के अधीन परिसमापन कार्यवाहियां समाप्त हो जायेंगी, और धारा 36 और 44 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चिट आस्तियों का वितरण, यथास्थिति, दिवाला विषयक न्यायालय या कम्पनी को परिसमापित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जायगा।

फोरमैन के दिवालिया होने पर परिसमापन कार्यवाहियों का स्थगन और दिवाला विषयक कार्यवाहियों का अन्तरण

- (2) जहां फोरमैन के विरुद्ध दिवाला विषयक कार्यवाहियां विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हो तो उक्त न्यायालय किन्हीं कार्यवाहियों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अन्तरित कर सकता हैं।
- 50— (1) जहां चिट के परिसमापन के लिये दिया गया आवेदन खारिज कर दिया जाय और विहित प्राधिकारी या न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो विहित प्राधिकारी या न्यायालय आवेदक के विरुद्ध पांच सौ रुपये से अनधिक उतनी धनराशि अधिनिर्णीत कर सकता है, जिसे वह आवेदन और उसके सम्बन्ध में कार्यवाहियों के कारण फोरमैन की हुई क्षति या ब्यय के लिये फोरमैन को दिया जाने वाला युक्तियुक्त प्रतिकर समझे, और ऐसी धनराशि इस प्रकार वसूल की जायगी मानों अभिनिर्णय कोई डिकी हो।

तुच्छ या तंग करने वाले आवेदन के लिए प्रतिकर

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अभिनिर्णय से प्रतिकर का कोई पृथक वाद वर्जित हो जायेगा।
- 51— (1) कोई व्यक्ति, जो चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में, विहित प्राधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के विनिश्चय या आदेश से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश के दिनांक से दो मास की अविध के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

अपील करने का अधिकार

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी कार्यवाहियों में विहित प्राधिकारी या न्यायालय का प्रत्येक विनिश्चय या आदेश अन्तिम होगा।

धारा 52-53}

52— (1) जहां इस अधिनियम के अधीन चिट परिसमापित करने से इन्कार करने का आदेश दिया जाय वहां अपुरस्कृत अभिदाताओं के सम्बन्ध में चिट को उक्त आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से ऐसे आदेश के दिनांक तक निलम्बित समझा जायगा, और चिट करार में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपुरस्कृत अभिदाता को जो पिरसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को व्यक्तिकमी नहीं था, उसके खारिज किये जाने के दिनांक को व्यक्तिकमी नहीं समझा जायेगा।

परिसीमा

- (2) जहां इस अधिनियम के अधीन चिट को परिसमाप्ति करने से इन्कार करने का आदेश दिया गया हो, वहां उस वाद या आवेदन से, जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी या न्यायालय की अनुमित ले ली गयी हो, भिन्न किसी बाद या विधिक कार्यवाहियों के लिये जो लायी गयी हो, या संस्थित की गयी हो, विहित परिसीमा काल की संगणना में से चिट के परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से उसे इन्कार करने के आदेश के दिनांक तक की अविध निकाल दी जायगी।
- (3) इस अधिनियम की किसी बात से ऐसी शेष धनराशि के लिए, यदि कोई हो, जो अभिदाता को चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में अन्तिम लाभांश घोषित किये जाने के पश्चात् देय हो, फोरमैन के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद या आवेदन द्वारा कार्यवाही करने के अभिदाता के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी ऐसे बाद या अवेदन के लिये विहित परिसीमा काल की संगणना में से चिट के परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से अन्तिम लाभांश घोषित किये जाने के दिनांक तक की अवधि निकाल दी जायेगी।

### अध्याय 10

### अधिकारी, निरीक्षण और फीस

53— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, चिट रजिस्ट्रार और उतने अपर, संयुक्त, उप तथा सहायक रजिस्ट्रार जितने आवश्यक हों, नियुक्त कर सकती है।

रजिस्ट्रार और लेखा– परीक्षक

- (2) अपर, संयुक्त, उप या सहायक रिजस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत रिजस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो रिजस्ट्रार तदर्थ विनिर्दिष्ट करे।
- (3) रजिस्ट्रार उतने चिट लेखा—परीक्षक नियुक्त कर सकता है, जितने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन चिट—लेखा परीक्षकों पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।
- (4) जहां रिजस्ट्रार की यह राय हो कि किसी चिट के लेखे उचित रूप से रखे नहीं जाते हैं और लेखों की लेखा—परीक्षा की जानी चाहिये, वहां ऐसे लेखों की किसी चिट लेखा—परीक्षक द्वारा लेखा—परीक्षा करना उसके लिए विधिपूर्ण होगा। सम्बद्ध चिट के फोरमैन का यह कर्त्तव्य होगा कि वह चिट लेखा—परीक्षक के समक्ष चिट से सम्बन्धित सभी लेखों, पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत कर, उसे ऐसी सूचना दे जिसकी अपेक्षा की जाय, और उसे ऐसी सभी सहायता तथा सुविधायें दें, जो आवश्यक या युक्तियुक्त हों और जिनकी चिट के लेखों की परीक्षा करने के सम्बन्ध में अपेक्षा की जाय।
- (5) फोरमैन, उपधारा (4) के अधीन चिट के लेखों की परीक्षा के लिए चिट-परीक्षकों को ऐसी फीस देगा, जो विहित की जाय।

**धारा 54-57**}

54— चिट रजिस्ट्रार शाश्वत उत्तराधिकारी वाला एकल निगम होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रार एकमात्र नियम होगा

55-- कोई व्यक्ति ऐसी फीस देने पर, जो विहित की जाय-

रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण

- (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये किन्हीं दस्तावेजों या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है, और
- (2) ऐसे किसी दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति या उससे उद्धरण ले सकता है।
  - 56-- (1) रजिस्ट्रार को ---

फीस का उद्ग्रहण

- (क) धारा 3 के अधीन चिट की उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण,
- (ख) धारा ७ के अधीन कारोबार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देने,
- (ग) रजिस्ट्रार के समक्ष चिट करार और धारा 12, 22, 23, 31 और 34 के अधीन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दाखिल करने.
  - (घ) धारा 55 के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने,
- (ङ) धारा 55 के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां या उनसे उद्धरण लेने,
- (च) फोरमैन के लेखों की लेखा—परीक्षा करने और लेखा—परीक्षा प्रमाण—पत्र देने, तथा
- (छ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जाए, के लिये ऐसी फीस दी जायेगी जो विहित की जाय।
- (2) उपधारा (1) के अधीन देय फीस सारणी सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

### अध्याय 11

### प्रकीर्ण

57--- (1) कोई फोरमैन, जो रजिस्ट्रार के ऐसे आदेश से व्यथित हो, जिसके द्वारा .....

अपील

- (क) धारा 3 उपधारा (3) के अधीन चिट की उपविधियों की रजिस्ट्री करने से इनकार किया गया हो,
- (ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किया गया हो।
- (ग) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन या धारा 25 के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार किया गया हो,
- (घ) धारा 14 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रतिभूति के रूप में भारित सम्पत्ति को निर्मुक्त करने से या नकद प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूतियों को निर्मुक्त करने का आदेश देने से इन्कार किया गया हो, या

(धारा 58-59)

- (ड.) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अन्तरण की स्वीकृति देने से इन्कार किया गया हो, वह ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के तीन दिन के भीतर राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ राशक्त हो, अपील कर सकता है।
- (2) राज्य सरकार या यथा उपुर्यक्त ऐसा अधिकारी, या प्राधिकारी, अपीलार्थी और रिजस्ट्रार अथवा उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे, और इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।
- 58— रजिस्ट्रार, स्वविकेकानुसार और धारा 22 की उपधारा (2), धारा 23 की उपधारा (2), धारा 31 या धारा 34 में विनिर्दिष्ट चौदह दिन की अवधि के भीतर किसी फोरमैन द्वारा लिखित आवेदन देने पर, फोरमैन को ऊपर निर्दिष्ट किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी दस्तावेज की प्रति दाखिल कराने के लिये पन्द्रह दिन से अनिधक का अतिरिक्त समय दे सकता है।

कतिपय मामलों में विलम्ब को उपमर्पित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

59— (1) जो कोई धारा 3, धारा 4 या धारा 7 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरणा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

शास्तियां

- (2) कोई फोरमैन, जो युक्ति युक्त कारण के बिना-
- (क) धारा 6 की अपेक्षानुसार चिट—करार या उसमें किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन को या धारा 12, धारा 22 की उपधारा (2) धारा 23 की उपधारा (2), धारा 31 या धारा 34 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रति को उसे दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इस प्रकार दाखिल करने के लिये धारा 58 के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर दाखिल करने में असफल रहेगा, या
- (ख) धारा 8, धारा 14 की उपधारा (1) और (6), धारा 16, धारा 17, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 27 की उपधारा (3), धारा 31, धारा 37, धारा 38, धारा 39 और धारा 53 की उपधारा (4) के किन्हीं उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा, या
- (ग) उस दिनांक, समय और स्थान के सम्बन्ध में जिस पर चिट निकाली जानी हो, चिट—करार की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहेगा.

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

- (3) जो कोई उस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों द्वारा या उनके किन्हीं प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज में जानबूझ कर कोई मिथ्याा कथन करेगा, वह कारावास, जिसकी अविध एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (4) रजिस्ट्रार, कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके प्रश्चात् किसी अपराध के शमन कर सकता है तथा ऐसी शमन फीस, जो वह उचित समझे, प्रतिगृहीत कर सकता है और तत्पश्चात अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी:

(धारा 60-65)

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध का शमन राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

60— कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

अपराध का संज्ञान

61— इस अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला न्यायालय या धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध का शमन करने वाला रजिस्ट्रार यह निदेश दे सकता है कि वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग कार्यवाहियों के खर्च में या उसका भुगतान करने के प्रति उपयोग किया जाय।

जुर्माने का उपयोग

62— (1) रिजस्ट्रार, ऐसी सहायता से जिसे वह आवश्यक समझे, किसी ऐसे स्थान में जिसके बारे में उसे यह सन्देह हो कि वहां किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके चिट का संचालन किया जा रहा है या किया गया है, प्रवेश कर सकता है और ऐसी पुस्तिकाओं, रिजस्टरों, लेखे या अन्य दस्तावेजों को जो उस स्थान पर मिलें, निरीक्षण कर सकता है:

किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा दस्तावेज आदि अभिग्रहीत आदि अभिग्रहीत करने की

प्रतिबन्ध यह है कि यदि रजिस्ट्रार उस स्थान के कोई पुस्तिका, रजिस्टर लेखा या दस्तावेज हटाता है तो वह उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति को रसीद देगा, जिसमें इस प्रकार हटाई गई पुस्तिका, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज का उल्लेक्ष होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उस स्थान से पुस्तिकाएं, रजिस्टरों लेखों तथा दस्तावेजों को हटाने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार या तो ऐसे व्यक्ति से पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, लेखों तथा दस्तावेजों को जब उसके द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिये ऐसी प्रतिभूति, जिसे वह आवश्यक समझे, लेने के पश्चात् उन्हें उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से उन्हें हटाया गया था, लौटा देगा अथवा उनका निस्तारण करने के लिये ऐसा आदेश दे सकता है, जो उसे न्यायसंगत और उपयुक्त प्रतीत हों।

- (2) रजिस्ट्रार को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि उसके पास किसी चिट के सम्बन्ध में कोई सूचना है, अपने समक्ष उपस्थित होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने की अपेक्षा करने और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने का प्राधिकार होगा।
- (3) रजिस्ट्रार, किसी थाने के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये आवेदन कर सकता है आर इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये किसी पुलिस प्राधिकारी को साथ चलने और सहायता देने के लिये ले जा सकता है।

63— किसी चिट के सम्बन्ध में सभी भुगतान, चाहे वह फोरमैन द्वारा किये जाए या अभिदाता द्वारा, लिखित रूप में दस्तावेजों द्वारा साक्ष्यित होंगे। भुगतान दस्तावेज द्वारा साक्षिप्त होगा

64— कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले दावों पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से अधिक ब्याज अधिनिर्णीत नहीं करेगा।

बारह प्रतिशत से अधिक ब्याज की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

65— इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात से, चिट—करार में दिये गये किन्हीं उपबन्धों के विरुद्ध कोई अनुतोष देने के लिये, यदि वे अयुक्तिसंगत या किसी विधि के उपबन्धों के प्रतिकुल हों, न्यायालय में निहित शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कतिपय मामलों में अनुतोष देने की न्यायालय की शक्ति

धारा 66-69}

66— इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को फोरमैन द्वारा किसी फीस के रूप में देय समस्त धनराशियां भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूली होगी।

फोरमैन द्वारा देर धनराशियों की वसूली

67— (1) इस अधिनियम के उपबन्ध, अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व शुरू की गई चिटों पर इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे कि ऐसी चिटों की दशा में चिट आरम्भ या संचालित करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ से तीन मास के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

अधिनियम का लागू होना

- (2) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी चिट पर, जिसकी चिट—धनराशि, या जहां एक ही फोरमैन द्वारा एक साथ दो या उससे अधिक चिटें आरम्भ या संचालित की जाए, तो जिनकी चिट धनराशि का योग, एक सौ रुपये से अधिक न हो, लागू न होगा।
- 68— राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को या ऐसी किसी चिट या किसी वर्ग की चिटों को, जिन पर वह अधिनियम लागू होता है, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, इसके सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है और किसी ऐसी अधिसूचना का रदद या परिष्कृत कर सकती है।

छूट देने की शक्ति

69—— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

- (2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती व्यक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था या विनियमन किया जा सकता है : .....
  - (क) विहित किये जाने के लिये इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय,
  - (ख) वह रीति, जिसके अनुसार अभिदाताओं के सामान्य निकाय की सामान्य और विशेष बैठक बुलायी जायेगी और होगीं,
  - (ग) वह रीति, जिसके अनुसार अभिदाताओं के सामान्य निकाय की सामान्य और उप विधियां बनाने, उनकी रजिस्ट्री कराने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें निराकृत करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और इस प्रकार बनाने, रजिस्ट्रीकरण कराने, परिवर्तन या निराकरण करने के पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें,
    - (घ) वे विशिष्टियां, जो प्रत्येक चिट-करार में दी जायेंगी;
  - (ङ) धारा 14 के अधीन प्रतिभूति की प्रयोजनार्थ अनाज—चिट में रजिस्ट्रार द्वारा अनाज के मूल्यांकन का ढंग,
  - (च) वे निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए और वह रीति, जिसके अनुसार, धारा 14 के अधीन फौरमैन द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति में परिवर्तन या उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है:
  - (छ) धारा 14 के अधीन फोरमैन द्वारा दी गयी प्रतिभूति को निर्युक्त करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रकिया,
  - (ज) फोरमैन द्वारा रजिस्टरों और लेखा—पुस्तिकाओं का रखा जाना, रजिस्ट्रार के कार्यालय में पुस्तिकाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा और ऐसी पुस्तिकाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों को नष्ट करना, जिनकी आगे आवश्यकता न रह जाय.

(धारा 69)

- (झ) अध्याय 9 के अधीन चिट के परिसमापन के लिये अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया, और
- (ञ) चिटों के तुलन पत्रों और लाभ-हानि के लेखों की लेखा-परीक्षा और लेखा परीक्षा के प्रमाण-पत्र।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की अविध पर्यन्त जो, एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन, उक्त अविध में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात का वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

# THE UTTAR PRADESH CHIT FUNDS ACT 1975<sup>1</sup> [U. P. Act No. 53 of 1975]

[Passed by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 7, 1975 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 5, 1975

Received the assent of the President on October 10, 1975 under article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated October 16, 1975]

### AN

### **ACT**

to provide in, the interests of general public for the regulation of chit funds in the State and for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:

#### CHAPTER I

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Chit Funds Act, 1975.
  - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
  - (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in that behalf; and different dates may be appointed for different areas of the State and for different provisions of this Act.

### **Definitions**

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires----
  - (1) "approved bank" means a bank approved by the State Government for the purposes of this Act;
  - (2) "chit" means a " transaction, whether called chit fund, chit, kuri, or by any other name, by which its foreman enters. Into an agreement with a number of subscribers that everyone of them shall subscribe a certain sum or a certain quantity of grain or of any other goods by periodical installments for a number of specified periods equal to the number of subscribers and that each subscriber at some of. them in his or their turn as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner, as may be provided for in the agreement, shall be entitled to a prize amount;

Explanation- A transaction is not a chit within the meaning of this, clause if in such transaction---

- (a) some alone, but not all, of the subscribers get the prize amount without any liability to pay future subscriptions, or
- (b) all the subscribers get the whole of the chit amount by turns with a liability to pay future subscriptions:

For Statement of Objects-and Reasons, please see. U.P. Gazette, (Extraordinary), dated August 7, 1975.

*Illustration*— There are 100 subscribers to a chit and the subscription by each of them is Rs. 10. All the subscribers get by turns Rs. 1,000 being the whole of the chit amount and are liable to pay future subscriptions. The transaction falls within clause (b) at the above Explanation and is not a chit;

- (3) "chit agreement" means a document containing the articles of agreement between the foreman and the subscribers relating to the chit;
- (4) "chit amount" means the sum total of the subscriptions payable by all the suscribers for any installment of a chit without any deduction for discount or otherwise;
- (5) "defaulting subscriber" means a subscriber who has defaulted in the payment of subscriptions due according to the terms of the chit agreement;
- (6) "discount" means the sum or the quantity of grain, or of other goods, as the case may be, which a prized subscriber is required under the terms of the chit agreement to forego and which set apart under the said agreement to meet the expenses of running the chit or for distribution among the subscribers or for both;
- (7) "dividend" means the share of a subscriber in the discount available Under the chit agreement for rateable, distribution among the subscribers at any instalment of the chit;
- (8) "draw" with its grammatical variations, means ascertaining of the person or persons entitled to the prize amount at any instalment of a chit;
- (9) "firm" means a firm' registered under the Indian Partnership Act, 1932;
- (10) "foreman" means the person (including a firm) who under the chit agreement is responsible for the conduct of the chit, and includes any other person discharging the functions of the foreman on continuation of the chit in, circumstances mentioned in section 32;
- (11) "non-prized subscriber" does not include a subscriber who has defaulted in the payment of subscriptions due according to the terms of the chit agreement;
- (12) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (13) "prescribed authority" means the Sub-Divisional Magistrates (Executive) within their respective jurisdiction;
- (14) "prize amount" means the difference between the chit amount and the discount, and, in the case of a fraction of a ticket, means the digerence between the chit amount and the discount proportionate to the fraction of the ticket, and where the prize amount is payable otherwise than in cash. the value of the prize amount shall be the value at the time it becomes payable;
- (15) "prized subscribers" means a subscriber who has either received or is entitled to the prize amount;

[Section 3]

- (16) "Registrar" means a Registrar appointed under section 53, and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Registrar appointed under that section and authorized by him to perform all or any of his functions under this Act:
- (17) "subscriber" includes a person who holds a fraction of a ticket and also a transferee of a ticket or a fraction thereof by assignment in writing or by operation of law;
- (18) "ticket" means the share of a subscriber in a chit.

### **CHAPTER II**

### CONSTITUTION AND REGISTRATION

# Registration of by-laws

- 3. (1) Save as otherwise provided by or under this Act, no person shall start or conduct any chit unless he has registered with the Register the general byelaws under which different chit series are to be operated.
  - (2) For the purpose of registration, the general bye-laws of the chit series signed by the foreman and attested by not less than two witnesses shall be filed With the Registrar.
  - (3) The Registrar may-
    - (a) on being satisfied that the general bye-laws filed with him under subsection (2) are not inconsistent with the provisions of this Act or of the rules made thereunder and that the foreman is a proper person to conduct the chit, register the bye-laws and' issue to the foreman a certificate of registration: or
    - (b) for reasons to be recorded, refuse the registration.
  - (4) Without prejudice to the generality of his power under clause (ii) of subsection (3) the Registrar shall refuse registration of any general bye-laws which do no provide for entering into an agreement in writing with the subscriber providing that the instalments of subscription to the chit fund shall be monthly and the chit amount received every month from the subscribers shall be paid to the prized subscriber after deducting the discount which shall not exceed thirty per cent of the chit amount and that the discount shall be available for rateable distribution among the subscribers of the chit after payment of the commission to the foreman which shall not exceed five per cent of the chit amount.
  - (5) The Registrar shall retain a copy of the bye-laws and return the other copy to the foreman with an endorsement that the bye-laws have been registered.
  - (6) Notwithstanding anything contained in any contract, document or in any other law for the time being in force, any agreement contained in the articles of agreement between the foreman and subscriber which does not provide for payment of the entire chit amount after deducting the discount to the prized subscriber shall be void.

4.

5

[Section 4-7]

Prohibition of invitation for subscription to chit of which by-laws have not been registered No person shall issue or publish any notice, circular, prospectus or other document containing the terms and conditions of any chit or inviting the public to subscribe for tickets in any chit unless the same relates to a chit covered by the general bye-laws which have been registered under section 3

## Form of chit agreement

- Every chit agreement shall be in duplicate duly signed the foreman and by the subscribers or a person duly authorized that behalf in writing by the subscribers, and attested by two nesses, and it shall contain the following particulars, namely-
- (1) full name and permanent residential address of each subscriber, and attested by two witnesses and it shall contain the following particulars, namely---
- (2) the number of tickets held by each subscriber;
- (3) the number of installments and the amount, payable in respect of each ticket for each installment:
- (4) the dates of commencement and termination of the chit;
- (5) the mode of ascertaining the prized-subscriber;
- (6) the amount of discount which the prized subscriber, at any installment, has to forego;
- (7) the mode and proportion' in which the discount is distributable by way of dividend, foreman's commission and other expenses, if any;
- (8) the date, time and place at which the chit is to be drawn;
- (9) if under the chit agreement the foreman is entitled to the chit amount, the installment at which the foreman is to get the chit amount;
- (10) the approved bank or banks with which chit moneys shall be deposited by the foreman under the provisions of this Act;
- (11) the manner in which a chit shall be continued, where a foreman who is an individual dies or becomes of unsound mind; or is otherwise incapacitated; and,
- (12) such other particulars as may be prescribed.

# Filling of chit agreement

- (1) Every chit agreement, and every alteration in or addition to it made under section 9, with its duplicate, shall be filed with the Registrar who shall also be informed about its cancellation, if any, made under section 9.
- (2) The Registrar shall retain the chit agreement and return the duplicate chit agreement, alteration or addition to the foreman with an endorsement that the chit agreement, alteration or addition, is filed.

## Commencement 7. of chit business

(1) No person shall commence any auction or drawing of any chit unless he has obtained a certificate of commencement from the Registrar.

[Section 8-11]

(2) The Registrar shall, on being satisfied that the bye-laws of the chit have been duly registered and that the chit agreement including alteration in or addition to it, if any, has been filed and the security required under section 14 has been, furnished by the foreman grant a certificate of commencement.

Copies of byelaws and chit agreement to be given to subscribers

- 8. (1) The foreman shall, as soon as may be, after he has obtained the certificate of commencement referred to in section 7, but not later than the date of first drawing of the chit, furnish to every subscriber a copy of the bye-laws of the chit and of the chit agreement certified by him to be a true copy.
  - (2) The foreman shall, within fifteen days of the month succeeding the month in which the first installment of the chit is drawn, file with the Registrar a certificate to the effect that he has complied with the provisions of subsection (1).

# Alteration of chit agreement

9. The chit agreement shall not be altered, added or canceled except with the consent in writing of the foreman and all the subscribers to the chit.

Meeting

- 10. (1) A general meeting of the general body of subscribers shall be held each month in the prescribed manner.
  - (2) A special meeting of the general body of the subscribers shall be convened by the foreman in the 'prescribed manner on the requisition of twenty-five per cent of the aggregate, of the number of the non-prized and unpaid prized subscribers.

# Minutes of proceedings

- 11. (1) The proceedings of every draw shall be recorded in a book to be kept for that purpose and shall be signed by the foreman and all the subscribers present. It shall also be signed by the prized subscriber or his authorised agent.
  - (2) Such record of the proceedings shall state clearly-
    - (a) the date and hour when the proceedings began and' ended' and the place where the drawing was held;
    - (b) the number of the particular instalment of the chit of which proceedings are recorded;
    - (c) the names of the subscribers present;
    - (d) the person or persons who become entitled to the prize amount in the particular instalment;
    - (e) the amount of discount;
    - (f) full particulars regarding the disposal of the prize amount in respect of the preceding instalment and disposal of unpaid prize amount, if any, in respect of any previous instalment; and
    - (g) such other particulars as may be prescribed.

12

13

[Section 12-14]

Copy of minutes to be filed with the Registrar

Every foreman shall, within fifteen days of the month succeeding the month in which one or more instalments of the same chit or one or more instalments of any other chit are drawn, file with the Registrar a copy of the record referred to in section 11 in respect of the draws at all such instalments and certified by the foreman to be true copy.

### **Chapter III**

### **FOREMAN**

Value of chits

No foreman shall conduct at a time any chits the aggregate amount of which exceeds fifty per cent of the net assets of the foreman.

Explanation- In determining the net assets of a foreman for the purpose of this section the amount of security furnished by him shall be excluded if such amount is the amount of subscription received in advance from the subscribers.

Security to be given by foreman

- (1) Every foreman shall, before applying for the certificate of commencement referred to in section 7 in respect of any chit series-----
  - (a) execute a bond in favour of or in trust for the other subscribers for the proper conduct of the chit, charging property sufficient to the satisfaction of the Registrar for the realisation of twice the chit amount; or
  - (b) deposit in an approved bank an amount equal to the chit amount or invest in Government securities of the face value of not less than one and half time the chit, amount and transfer the amount so deposited or the Government securities in favour of the Registrar to be held. in trust by him as security for the due conduct of the chit:

Provided that, where moveable property is charged by way of security, only such kind of moveable property as may be prescribed shall be so charged and such moveable property shall be deposited in such manner and with such person or officer as may be prescribed.

- (2) Where a foreman conducts more than one chit, he shall furnish security in accordance with the provisions of sub-section (1) in respect of each chit.
- (3) Subject to the provisions of section 520 of the Companies Act, 1956, the security given by the foreman under sub-section (1) shall not be liable to be attached in execution of a decree or otherwise---
  - (a) until the chit is terminated and the claims of all the subscribers are fully satisfied;
  - (b) until all dues payable by the foreman under this Act to the, Registrar or any other officer have been paid;
  - (c) where owing to the default of the prized subscriber the prize amount due remains unpaid even after the termination of a chit until the foreman deposits such amount in an approved bank mentioned in the chit agreement and intimates in writing the fact of such deposit to the prized subscriber.

- (4) The Registrar shall, after the termination of a chit and after satisfying himself that the requirement mentioned in clauses (i) to (iii) of sub-section (3) have been complied with, release the property charged by way of security or order the release of the cash security or the Government security referred to in sub-section (1), and in doing so, he shall follow such procedure as may be prescribed.
- (5) The Registrar may on the application of any foreman, instead of releasing the security under sub-section (4), accept the same as security in respect of any other chit conducted by the same foreman. If the value or amount of the security so accepted is less than the value or amount specified in sub-section (1), the Registrar shall require the foreman to furnish additional security to make up the deficiency, If the value or amount of such security is in excess of the value or amount required, the Registrar shall release such excess.
- (6) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the security furnished under this section shall not be dealt with by the foreman during the currency of the chit, and any dealing by the foreman with respect thereto, by way of transfer, charge, mortgage or other encumbrance, shall be void.

## Rights of foreman

- 15. Subject to the provisions of this Act or the rules made thereunder, the foreman shall be entitled-
  - (a) in the absence of any provision in the chit agreement to the contrary, to obtain 'the chit amount at the installment specified in this behalf in the chit agreement;
  - (b) to such commission or remuneration not exceeding five percent of the chit amount as may be fixed in the chit agreement;
  - (c) to receive and realize all contributions from the subscribers;
  - (d) to demand sufficient security 'from any prized subscriber for the due payment of future subscriptions :

Explanation-- A security is said to be sufficient for the purposes of this clause if its value exceeds by one-third or if it consists of immoveable property, the value exceeds by one-half, the amount due from the prized subscriber;

- (e) to substitute subscribers in the place of defaulters; and
- (f) to do all other acts that may be necessary for the due and proper conduct of the chit.

# Duties of a foreman

16. (1) A foreman shall, on the prized subscriber furnishing sufficient security for the due payment of future subscriptions, be bound to pay him the prize amount:

Provided that the prized subscriber shall be entitled Ito demand immediate payment of the prize amount after deducting all future subscriptions without any security whatsoever, and in such case the foreman shall, before the date of the next succeeding installment, deposit in an approved bank mentioned in the chit agreement the amount of future subscriptions deducted as aforesaid, and he shall not withdraw the amount so deposited except for payment of future subscriptions.

- (2) If owing to default of the prized subscriber the prize amount due in respect of any dues remains unpaid before the date of the next succeeding draw, the foreman shall deposit the same forth with in an approved bank mentioned in the Chit Fund Agreement and intimate, in writing, the fact of such deposit to the prized subscriber and the Registrar.
- (3) Every payment of the prize amount, the deposit of the amount of future subscriptions under sub-section (1) and the deposit of the prize amount under sub-section (2) shall be intimated to the subscribers at the next succeeding draw, and particulars of such payment or deposit entered in the record of the proceedings of that draw.
- (4) The foreman shall not appropriate for himself any amount in excess of what he is entitled to under Clause (a) and (b) of section 15:

Provided that the foreman may appropriate for himself the interest accruing on any amount deposited in banks except interest on deposits made under sub-section (2) or under section 24.

# Registers and books of account

17. Every foreman shall keep such registers and books of account, and in such form, as may be prescribed.

### Balance sheet Act I of 1956

18.

19.

- (1) Every foreman shall prepare and file with the Registrar in such manner and within such time as may be prescribed, a balance-sheet relating to the period of account duly audited either by auditors duly qualified to act as auditors of companies under the Companies Act, 1956 or by a Chit Auditor appointed under sub-section (3) of section 53.
- (2) The balance sheet referred to in sub-section (1) shall:-
  - (a) contain a summary of the assets and liabilities of all chits conducted by him;
  - (b) give such particulars as will disclose the nature of the said assets and liabilities and how the value of those assets has been arrived at; and
  - (c) such other particulars as may be prescribed.

# Liability of a foreman to the subscribes

- (1) Every foreman shall be liable to account to the subscribers for the amounts due to them.
- (2) Where there are more than one foreman, each one of them jointly and severally, or if the foreman is a firm, each one of the partners thereof jointly and severally and if the foreman is a Corporation, that Corporation shall be liable to the subscribers in respect of the obligations arising out of the chit.

### withdrawal of 20. a foreman

- (1) Where there are more than one person as foreman in a chit, none of them shall withdraw from it until the termination of the chit unless such withdrawal is consented to by all the non-prized subscribers and unpaid prized subscribers and a true copy of such consent has been filed by the remaining foreman within fourteen days of the date of such consent.
- (2) Such withdrawal shall not, however, affect the security given under section 14.

21.

[Section 21-23]

### CHAPTER IV NON-PRIZED SUBSCRIBERS

Non-prized subscribers to pay subscription and obtain receipt Every non-prized subscriber shall pay his subscription at the time and place mentioned in the chit agreement and shall on such payment be entitled to a receipt from the foreman.

# Removal of defaulting subscribers

- 22. (1) (a) A non-prized subscriber who defaults in paying His subscription in accordance with the terms of the chit agreement shall be liable to have his name removed from the list of subscribers.
  - (b) Every such removal shall, with the date. thereof, be entered in a book of defaulting subscribers to be maintained by the foreman:
  - (2) The foreman shall within fourteen days from the removal of the name of a defaulting subscriber under sub-section (1)-
    - (a) give a notice of this fact to such defaulting subscriber; and
    - (b) file with Registrar a true copy of the en try in the register referred to in clause (b) of sub-section (1).
  - (3) Any defaulting subscriber aggrieved by the removal of his name from the list of subscribers may, within seven days of the communication to him of the notice of removal appeal to the Registrar.
  - (4) The Registrar may after giving the parties an opportunity of being heard, pass such orders on the appeal as he thinks fit and the decision of the Registrar shall be final.

# Substitution of subscribers.

23. (1) A foreman may substitute in the list of subscribers any person in the place of a defaulting subscriber whose name has been removed from such list under subsection (1) of section 22:

Provided that no such substitution shall be made until the expiry of fifteen days from the date of the service of the notice given to the defaulting subscriber under clause (a) of sub-section (2) of section 22,

- (2) Every substitution referred to in sub-section (1) shall, with the date thereof, be entered in the book referred to in clause (b) of sub-section (1), of section 22, and a true copy of every such entry shall be filed by the foreman with the Registrar within fourteen days from the date of such substitution along with a certificate that a copy of the bye-laws of the chit and of the chit agreement certified as true copy has also been furnished to the substituted subscriber,
- (3) All arrears of subscriptions realized from the substituted subscriber, less any amount advanced by the foreman, shall, before the date of the next succeeding installment, be deposited by the foreman in an approved bank mentioned in the chit agreement, in the name of the Registrar.

Explanation-- For the purposes of this sub-section, arrears of subscription's shall mean all the previous installments realized, from the substituted subscriber.

[Section 24-26]

Amount due to defaulting subscriber how dealt with

- 24. (1) Where a substituted subscriber draws the prize amount; the defaulting subscriber shall be entitled to recover his contributions subject to such deductions as may be provided for in the chit agreement, which in no case shall exceed the dividend already received by such defaulting subscriber.
  - (2) The foreman shall on demand made by the defaulting subscriber and on his executing an acknowledgement duly signed, inform the Registrar of the amount due after making all deductions and the Registrar shall issue a cheque or draft in favour of such defaulting subscriber.
  - (3) If the defaulting subscriber fails to furnish the acknowledgement as aforesaid, the foreman shall, before the date of next succeeding instalment deposit in as approved bank the amount due to the defaulting subscriber, and intimate in writing the fact of such deposit to the defaulting subscriber and the Registrar, The amount so deposited shall not be withdrawn by the foreman for any purpose other than for payment to the defaulting subscriber.

### **CHAPTER V**

### PRIZED SUBSCRIBERS

Prized subscriber to give security Every prized subscriber shall receiving before the prize amount without deductions of all future subscriptions, furnish to the foreman sufficient security and the foreman shall take such security for the due payment of future subscriptions, and if the foreman is the prized subscriber or draws the chit amount under clause (a) of section 15, he shall furnish security for the due payment of future subscriptions to the satisfaction of the Registrar:

Provided that a prized subscriber, other than the foreman, whose security is not being accepted as sufficient by the foreman, may within three months of the date on which he becomes the prized subscriber, appeal to the Registrar, who may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such orders on the appeal as he thinks fit, and his decision in the matter shall be final.

Prized subscriber to pay subscriptions regularly 26.

25.

Every prized subscriber shall pay his subscriptions regularly at the time and the place and on the dates mentioned in the chit agreement, failing which, he shall be liable to make a consolidated payment of all the future subscriptions at once :

Provided that the foreman shall pay the amount of subscription every month on behalf of any defaulting prized subscriber till the consolidated payment for arrears and all future interments are realized from such defaulting prized subscriber, which amount shall be deposited by the foreman in the account of the Registrar after deducting the subscription paid by him on behalf of such prized subscriber.

[Section 27-30]

Recovery of consolidated payment and its disposal

of 27. (1) If in a suit by a foreman for consolidated payment of future subscriptions, the defaulting prized subscriber, agrees to pay or pays into the court on or before the date to which the suit is fixed for hearing the arrears of subscriptions till that date together with interest thereon at the rate provided for in the chit agreement or at twelve per cent per annum simple interest, whichever is lower, and the costs of the suit for payment to the foreman, then, notwithstanding any contract to the contrary, the court shall pass a decree accordingly:

Provided that if any such suit is upon a promissory note, no decree shall be passed under this sub-section unless such promissory note expressly states that the amount due thereunder is towards payment of subscriptions to the chit.

- (2) Any person who holds an interest in the property furnished as security or any part thereof shall be entitled to make payment under sub-section (1).
- (3) (a) all consolidated payments of .future subscriptions realized by a foreman shall be deposited in an approved bank before the date of the next succeeding installment and may be withdrawn only for payment of future subscriptions.
  - (b) where any property is accepted in lieu of the consolidated payment, it shall continue to remain as security for the due payment of future subscriptions.

### **CHAPTER VI**

### **TRANSFER**

Restrictions on transfer of rights of a foreman 28.

29.

30.

- (1) No transfer of the rights of a foreman to receive subscriptions from prizedsubscribers shall be made without the previous sanction in writing of the Registrar.
- (2) Any non-prized subscriber or unpaid prized subscriber claiming that his interest would be prejudicially affected by any such transfer, may apply to the Registrar for setting aside the transfer and the Registrar on being satisfied in that behalf may, for reasons to be recorded, set it, aside.
- (3) In any proceedings under sub-section (2) the burden of proving that the transfer is not likely to effect prejudicially the interest of any subscriber challenging it shall bean the transferee.

Transfer of nonprized subscribers right to be in writing

Every transfer by a non-prized subscriber of his rights in the chit shall be in writing duly attested by at least two witnesses and shall be filed with the foreman.

Recognition of transfer by the foreman

Every transfer under section 29 shall be recognized by the foreman, unless he considers that the transferee is not solvent or the transfer is likely to defeat the provisions of any law for the time being in force.

31.

32.

[Section 31-35]

Entry of transferee's name in the book

Every transfer referred to in section 28 or section 29 shall be entered by the foreman in the books of the chit forthwith, and a true copy of such entry shall be filed by the foreman with the Registrar within fourteen days from the date of making such entry along with a certificate that a copy of the byelaw's of the chit and the chit agreement certified as true copy have been furnished to the transferee concerned.

### **CHAPTER VII**

### TERMINATION OF CHITS

Provisions for continuation of chits in certain cases

- (1) Where the foreman who is an individual dies or becomes of unsound mind or is otherwise incapacitated, the chit may be continued in accordance with the provisions of the chit agreement where the agreement so provides.
- (2) In the case of a foreman which is a firm if a partner dies, becomes of unsound mind or is otherwise incapacitated the chit shall not be deemed to have terminated and the surviving partner or partners shall conduct the chitin the absence of any provisions to the contrary in the chit agreement.

## Termination of 33. chit

A chit shall be deemed to have terminated-

- (a) when the period fixed in the chit agreement has expired, provided payment of dues to all the subscribers has been completed; or
- (b) when all the non-prized and unpaid prized subscribers consent in writing to the termination of the chit and a copy of such consent is filed as required by section 34; or
- (c) when a foreman, who is an individual, dies, becomes of unsound mind or is otherwise incapacitated, and the chit agreement does not provide for the continuation of the chit or when the partner of a foreman which is firm dies or becomes of unsound mind or is otherwise incapacitated and the chit agreement provides for the discontinuation, of the chit in such an event.

Filling of consent with Registrar

34.

35.

A true copy of every consent mentioned in sub-section (1) of section 20 or in clause (b) of section 33 with the date of such consent, shall be filed by the foreman or by the remaining foreman or foremen with the Registrar within fourteen days from the date of such consent.

Refund of nonprized subscribers contributions Except in the cases referred to in clauses, (a) and (b) of section 33 --

(1) every non-prized subscriber shall, unless otherwise provided for in the chit agreement, be entitled to get back his contribution at the termination of the chit without deduction for dividend, if any, received by him:

36.

37.

Provided that any persons to whom the rights of a non-prized subscriber are transferred under section 29, shall in addition to his own contributions, be entitled, unless otherwise provided for in the chit agreement, to get back the contributions made by such non- prized subscriber;

(2) if the chit terminates on a date earlier than the date originally fixed in the chit agreement, the non-prized subscriber's, claim shall be deemed to have arisen on the date on which he has received a notice of such termination.

Subscribers dues to be first charge on chit assets

Where there are debts due from the foreman of a chit in relation thereto and also other debts due from him, the chit debts due to, the subscribers shall be first charge on the chit assets.

### **Chapter VIII**

### INSPECTION OF DOCUMENTS

Foreman to allow subscribers to examine chit records Every foreman shall, on payment of such fee not exceeding five rupees as may be specified in the chit agreement, allow non-prized and unpaid prized subscribers all reasonable facilities on all days of drawing of chits or, on such days and within such hours as may be provided for in the chit agreement for the inspection of security bonds and documents, receipts and other records taken from the prized subscribers or furnished by the foreman himself in his capacity as a subscriber and all chit records including books of account and pass books, the balance-sheets and profit and loss accounts and such other records as may show the actual financial position of the chit scheme.

Preservation of 38. chit records by foreman

All records pertaining to a chit shall be preserved in tact by the foreman and, kept for a period of six years from the date of the termination of the chit.

Inspection of chit books and records

- 39. (1) The Registrar or any other officer authorized by him in this behalf may inspect the chit books and all records relating to the chit.
  - (2) Every foreman shall be bound to produce the chit books and records before the Registrar or the officer authorised under sub-section (1) at such time and place as he may require and shall furnish to him any other information as he may require:

Provided that such inspection may be made at the premises of the foreman if he pays in advance such fees as may be prescribed for the inspection:

Provided further that if the foreman is a banking company as defined in the Banking Companies Act, 1949, such inspection shall be made only at the premises of the Company and only on a working day and such foreman shall pay such fees as may be prescribed for the inspection.

(3) Any officer mentioned in sub-section (1) may impound and retain in his custody for such period as he thinks fit any books of account or other documents produced before him:

Provided that such officer shall not --

- (a) impound any books of account or other documents with-out recording his reasons for so doing; or
- (b) retain in his custody any such books or documents for a period exceeding fifteen days excluding days falling on holidays save for adequate and exceptional reasons to be recorded and in the case of an officer other than the Registrar, without obtaining the written approval of Registrar in that behalf.

### **CHAPTER IX**

### WINDING UP OF CHITS

When chit may 40. be wound up

A chit may be wound up by the prescribed authority having jurisdiction over the place where the chit has been registered-

- (a) if the chit has terminated under clause (c) of section 33; or
- (b) if the foreman fails to give the security specified, in section 14 or it he commits any such act in respect thereto as is calculated to impair materially the nature of the security or the value thereof; or
- (c) if he fails to deposit the chit money in accordance with the provisions of this Act; or
- (d) if it ispr6vedto the satisfaction of the prescribed authority that the foreman is unable to pay the amounts due to the subscribers; or
- (e) if execution or other process issued on a decree or order of any court in favour of any subscriber in respect of amounts due to him from the chit is returned unsatisfied in whole or in part; or
- (f) if it is proved that there has been fraud or collusion on the part of the foreman in the matter of taking securities from prized subscriber; or
- (g) if the foreman has appropriated the prize amount in his capacity as a subscriber without furnishing sufficient security for future subscriptions; or
- (h) if it Is otherwise just and equitable that the chit should be wound up.
- Explanation-- For the purposes of clause (d), in determining whether the foreman is unable to pay the amounts due to the subscribers, the prescribed authority, shall take into account his contingent and prospective liabilities in respect of the chit:

Provided that a chit conducted by a company within, the meaning of the Companies Act, 1956, may be wound up only by the Court having jurisdiction under that Act.

[Section 41-46]

Windings up 41. application

The application to the prescribed authority or court, as the case may be, for the winding up of a chit shall be by a petition presented by any non-prized subscriber or unpaid prized subscriber or by the Registrar, signed and verified in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908, and shall contain such particulars as may be prescribed:

Act v of 1908

- Provided that no application for the winding up of a chit under clause (d) or clause (h) of section 40 shall the unless such petition is presented----
- (a) by such non-prized subscriber and unpaid prized subscribers whose subscriptions to the chit amount in the aggregate to not less than twenty-five per cent of the amounts contributed by all the non-prized subscriber and unpaid prized subscriber; or
- (b) by or with the previous sanction of the Registrar.

Explanation-- For the purposes of the proviso, a subscriber of a fraction of a ticket shall be deemed to by a subscriber only to the extent of such fraction.

Insolvency or liquidation a bar to winding up proceedings

42.

43.

44.

45.

Notwithstanding anything contained in sections 40 and 41, no petition for the winding up of a chit shall be entertained by the prescribed authority or a court under section 40 if proceedings under the Provincial Insolvency Act, 1920, are pending against the foreman for adjudicating him an insolvent or where the foreman is a company, if proceedings for winding up the company are pending against such company under the Companies Act, 1956.

Commencem ent and effect to winding up order An order for the winding up of a chit shall operate in favour of all the subscribers to whom amounts are due from the chit and it shall be deemed to have effect from the time of the presentation of the application for the winding up.

Interim Receiver and stay of other proceedings The prescribed authority or court may, upon the application of the foreman or of any subscribers to whom amounts are due in respect of the chit at any time after the presentation of the application for the winding up of a chit under this Act, make an order for the appointment of an Interim Receiver or an order staying further proceedings in any suit or proceeding instituted against the foreman for the realisation of amounts due in respect of the chit upon such terms as the prescribed authority or court thinks fit.

Power of court on hearing the application

On hearing the application, the prescribed authority or court may dismiss it with or without costs or adjourn the hearing conditionally or unconditionally or make an interim order or any other order as it may deem fit.

Chit assets to 46. vest in prescri-bed authority or court for distribution

On the making of an order for the winding up of a chit, the entire chit assets shall vest in the prescribed authority or court, as the case may be, for distribution amongst the subscribers to whom amounts are due in respect of the chit and such prescribed authority or court shall appoint a Receiver and pass such other orders in the matter as it deems fit.

47.

[Section 47-51]

Suits, etc. stayed on winding up orders

Where a winding up order has been made by the prescribed authority or a court, no suit or other legal proceedings shall be continued or commenced against the foreman by a subscriber for the realization of amounts due to him in respect of the chit except with the leave of the prescribed authority or court and on such terms as the prescribed authority or court may impose.

Copy of order to be filed with Registrar

48. (1) On the making of the winding up order, it shall be the duty of the petitioner in the winding up proceedings and of the Receiver to file with the Registrar a copy of the order, within one month from the date of the making of the order;

Provided that the Registrar may upon application in writing by such petitioner or Receiver, allow, in his discretion, further time not exceeding fifteen days for the filing of any such copy.

(2) On the filing of a copy of the Winding up order, the Registrar shall make an entry thereof in his books relating to the chit and shall notify the same in the official Gazette.

Stay of winding up proceedings on insolvency foreman and transfer of insolvency proceedings

- 49. (1) Where during the pendency of the proceedings for the winding up of a chit, the foreman is adjudicated an insolvent or when the foreman is a company, the company has been ordered to be wound up under the Companies Act, 1956, the winding up proceedings under this Act, shall cease, and the distribution of the chit assets shall subject to the provisions contained in section 36 and 44, be made by the insolvency court or the court winding up the company; as the case may be.
  - (2) Where insolvency proceedings against the foreman are pending in different courts, the High Court may transfer any proceedings from one court to another.

Compensati on for frivolous or vexatious application

50.

- (1) Where an application presented for winding up a chit is dismissed and the prescribed authority or court is satisfied that the application is frivolous or vexatious, the prescribed authority or court may award against the applicant such amount, not exceeding five hundred rupees, as it considers to be reasonable compensation to the foreman for the expense or injury caused to him by the application and the proceedings thereon, and such amount may be relised as if the award were a decree.
- (2) The award of compensation under sub-section (1) shall bar any separate suit for compensation.

Right of appeal

- 51. (1) Any person aggrieved by a decision or order of the prescribed authority or of a court other than the High Court in proceedings for winding up a chit may, within a period of two months from the date of such decision or order prefer an appeal to the High Court.
  - (2) Subject, to the provisions of sub-section (1) every decision or, order of the prescribed authority or Court in such proceedings shall be final.

52.

[Section 52-53]

Limitation

- (1) Where an order refusing-to wind up a chit, has been made under this Act, the chit shall be deemed to have been under suspension from the date of the presentation of the application to the date of such order in respect of non-prized subscribers, and notwithstanding anything contained in the chit agreement, no non-prized subscriber who was not a defaulter on the date of the presentation of the-application for winding up shall be deemed to be a defaulter on the date of its dismissal.
- (2) Where an order refusing to wind up a chit has been made under this Act, in computing the period of limitation prescribed for any suit or other legal proceedings other than a suit or an application in respect of which the leave of the prescribed authority or Court, has been obtained, which might have, been brought or instituted, the period from the date of the presentation of the, application to the date of the order refusing to wind up the chit shall be excluded.
- (3) Nothing contained in this Act, shall affect the right of the subscriber to proceed by, suitor application against the foreman personally for the balance, if any, of the amount due to him after the declaration of the final dividend in proceedings for winding up the chit, and in computing the period of limitation prescribed for any such suit or application the period from the date of the presentation of the application for winding up the chit to the date of the declaration of the final dividend shall be excluded.

### **CHAPTER X**

### OFFICER, INSPECTION AND FEES

# Registrar and Auditors

- 53. (1) The State Government may be notification in the official Gazette, appoint a Registrar of Chits, and as many Additional, Joint, Deputy, and Assistant Registrar as may be necessary.
  - (2) An Additional, Joint, Deputy, or Assistant Registrar Will perform under the general superintendence and control of the Registrar such functions of the Registrar under this Act as the Registrar may specify in that behalf.
  - (3) The Registrar may appoint as many Chit Auditors as may be necessary for the purpose of discharging the duties imposed upon the Chit Auditors by or under this Act.
  - (4) Where the Registrar is of the opinion that the accounts of any, chit are not properly maintained and that such accounts should be audited, it shall be Lawful for him to have such accounts audited by a Chit Auditor. It shall be the duty of the foreman of the chit concerned to produce before the Chit Auditor all accounts, books and other records relating to the chit, to furnish rum with Such information as may be required, arid to afford him all such assistance and facilities as may be necessary or reasonable and as may be required in regard to the audit of the accounts of the chit.
  - (5) The foreman shall pay to the Chit Auditors such fees as may be prescribed for the audit of the account of chit under sub- section (4).

54.

55.

[Section 54-57]

Registrar to be corporate sole

The Registrar of Chits shall be a corporate sole having perpetual succession and common seal with the power to acquire hold and dispose of property, and may sue and be sued in his corporate name.

Inspection of documents in the Registrar office

Any person may, on payment of such fees as may be prescribed----

- (i) inspect any documents or record kept by the Registrar under this Act; and
- (ii) obtain a certified copy or extract of any such document on record.

Levy of fees

- 56. (1) There shall be paid to the Registrar such fees as may be prescribed; for --
  - (a) the registration of the bye-laws of a chit under section 3;
  - (b) the grant of a certificate. of commencement under section 7;
  - (c) filing with the Registrar of the chit agreement and copies of the documents under sections 12, 22, 23, 31 and 34;
  - (d) the inspection of documents and record under section 55:
  - (e) the certified. copies or extracts of documents and records under section 55;
  - (f) the audit of the accounts of the foreman and the issue of an audit certificate; and
  - (g) such other matters as may be prescribed.
  - (2) A table of the fees payable under sub-section (1), shall be published in the official Gazette.

### **CHAPTER XI**

### **MISCELLANEOU**

**Appeals** 

- 57. (1) Any foreman aggrieved by an order of the Registrar-
  - (a) refusing to register the bye-laws of a chit under sub-section (3) of section 3;
  - (b) refusing to grant a certificate of commencement under sub-section (2) of section (7);
  - (c) refusing to accept the security offered under clause (a) of sub-section (1) of section 14 or under section 25;
  - (d) refusing to release the property charged by -way of security or to order the release of the cash security or the Government securities under sub-section (4) or sub-section (5) of section 14; or

58.

[Section 58-59]

- (e) refusing sanction for transfer under sub-section (1) of section 28 may, within thirty days of the communication to him of such order, appeal to the State Government or to such officer or authority as may be empowered by the State Government in that behalf.
- (2) The State Government or such officer or authority, aforesaid may after giving the applicant and the Registrar or his representative an opportunity of being heard, pass such orders on the appeal under sub-section (1) as it or he thinks fit and the decision so given shall be final.

Powers of Registrar to condone delay in certain cases

The Registrar may, in his 'discretion and upon an application in writing by any foreman made within the period of fourteen days specified in sub-section (2) of section 22, sub-section (2) of section 23, section, 31 or section 34, allow to the foreman further time not exceeding fifteen days to file a copy of any document under any of the provisions referred to above.

Penalties

- 59. (1) Whoever contravenes or abets the contravention of any of the provisions of section 3 section 4 or section 7 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.
  - (2) Any foreman who without reasonable cause-
    - (a) fails to file the chit agreement or any. alteration in or addition to it 'as required by section 6 or a copy of any document under section 12, subsection (2) of section 22, sub-section (2) of section 23, section 31 or section 34 within the period specified for such filing or within the further time allowed under section 58 for such filing; or
    - (b) otherwise contravenes any of the provisions of section 8, sub-sections (1) and (6) of section 14, section 16, section 17; section 18, section 22, section 23, section 24, section 25, sub-section (3) of section 27, section 31, section 37, section 38, section 39 and sub-section (4) of section 53; or
    - (c) otherwise fails to comply with any of the requirements of the chit agreement regarding the date, time and place at which the chit is to be drawn;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

- (3) Whoever in any document required by or for purposes of, any of the provisions of this Act willfully makes a false statement shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may intend to five thousand rupees or with both,
- (4) The Registrar may either before or after the institution of proceedings compound by offence under this Act and accept-such composition fee as .he thinks fit, and thereupon the accused, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him:

62.

[Section 60-65]

Provided that no offence under sub-section (1) or sub-section (3) shall, be compounded by the Registrar without the approval of 'the State Government.

Cognizance of 60. offences

No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a complaint in writing by the Registrar.

Application of 61. fines

The court imposing any fine under this Act or the Registrar compounding an offence under sub-section (4) of section 59 may direct that the whole or any part of the fine realized may be applied in or towards payment' of the costs of the proceedings.

Power to enter and search any place and seize documents etc (1) The Registrar may, with such assistance as he considers necessary, enter anyplace where he suspects any person is conducting or has conducted any chit in contravention of the provisions of this Act and inspect the books; registers; accounts or other documents that may be found in such place:

Provided that if the. Registrar, removes from the place any book, register, account or document he shall give to the person in charge of the place a receipt describing the book register account or document so removed by him:

Provided further that within fifteen days of the removal of the books, registers accounts and documents from the place the Registrar shall either return them to the person from' whose custody they were removed after taking from such person such security as he considers necessary for the production of the books, registers, accounts and documents when required by him or may pass such orders as to their disposal as appear just and convenient to him.

- (2) The Registrar shall have authority to require any person who appears to him to have any information regarding and chit to attend before him or to produce or cause to be produced any document and to examine such person on oath.
- (3) The Registrar may apply for assistance to in charge of a police station and take any police officer to and assist him in performing his duties under this Act.

Payment to be evidenced by document

63.

64.

All payments in respect of a chit, whether by the foreman or by the subscriber shall be evidenced by documents in writing.

Interest at more than twelve percent not to be allowed No court shall award interest on claims arising under this Act at more than twelve per cent per annum simple interest.

Power of court to grant relief in certain cases 65. Nothing contained in the foregoing provisions of this Act shall affect; the powers vested in a court to grant any relief against any of the provisions contained in the Chit agreement if the same be unconscionable or opposed to the provisions of any law.

68.

[Section 66-69]

#### Recovery of 66. amounts due from a foreman

All amounts · due from a foreman to the Registrar or any other officer under this Act by way of any fee shall be recoverable as arrears of land revenue.

### the Act

- Application of 67. (1) The provisions of this Act shall apply also to all chits started before the commencement of the Act provided that in the case of such Chits the persons responsible for starting or conducting the chit shall comply with the provisions of this Act Within three months from such commencement.
  - (2) Nothing in this Act shall apply in respect of any chit the chit amount of which or where two or more chits are started or conducted simultaneously by the same foreman, the aggregate of the chit amounts of which does not exceed one hundred rupees.

### Power to exempt

The State Government may, by notification published in the official Gazette, exempt any person or class of persons to whom or any chit or class of chits to which, this Act applies from all or any of its provisions subject to such conditions as it may think fit and may cancel or modify any- such notification.

### Power to make rules

- 69. (1) The State Government may by notification in the official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.
  - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide fat or regulate-:
    - (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;
    - (b) the manner in which general and special meetings of the general body of the subscribers shall be convened and held;
    - (c) the matters in respect of which provision shall be made in the bye-laws of a chit and the, procedure to be followed in making, registering; altering and abrogating bye-laws and the conditions to be satisfied prior to such making registration, alteration in abrogation;
    - (d) the particulars which every chit agreement shall contain;
    - (e) the method of valuation of grains by the Registrar in a grain chit for the purposes of security under section 14;
    - (f) the restriction and conditions subject to which and the manner in which, any security given by a foreman under section 14 may be changed or substituted:
    - (g) the procedure to be followed by the Registrar for the release of security given by the foreman under section 14;
    - (h) the maintenance of registers and cooks of accounts by the foreman, the safe custody of Looks, records and documents in the Registrar's office and also for the destruction of such books, records and documents as need no longer be kept;

[Section 69]

- (i) the procedure to be followed for the winding up of a chit under Chapter IX; and
- (j) the auditing of the balance-sheets and profits and loss accounts of chits and the audit certificates.
- (3) All rules under this Act shall as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to anything previously done thereunder.

-----